Lucknow IAS Academy

LiA

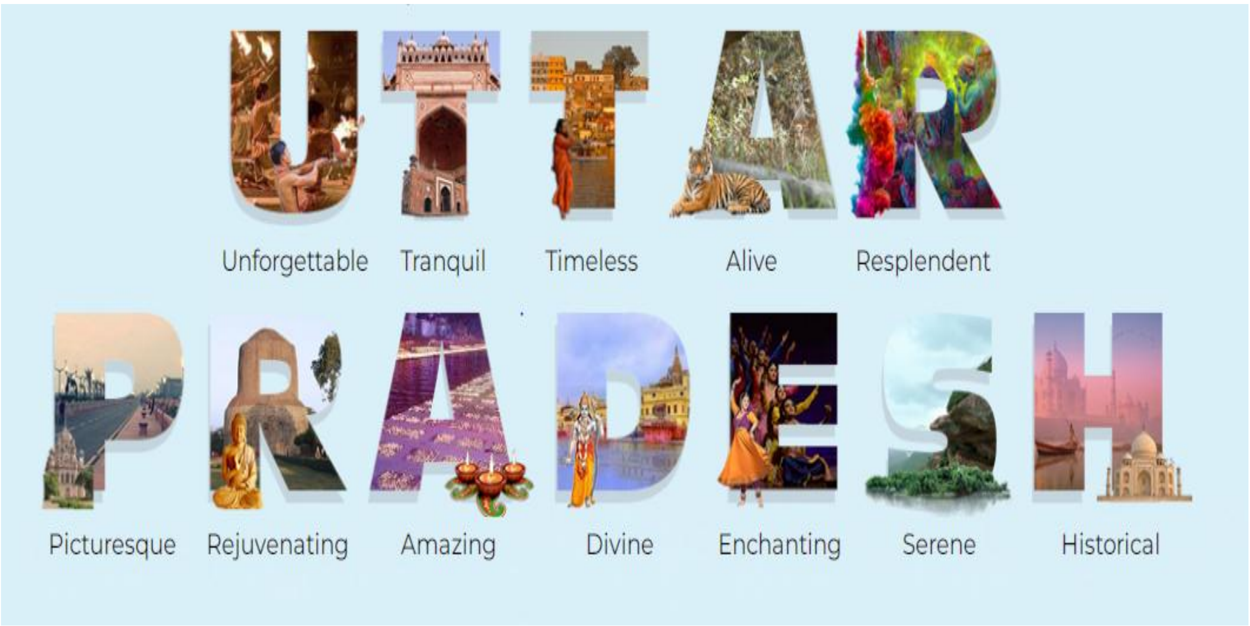

UP Special

General Studies Paper V

1.उत्तर प्रदेश का इतिहास

परिचय

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-मध्य भाग में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारतीय इतिहास के हर कालखंढ में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ष स्थान रहा है।

वैदिक युग उत्र प्रदेश को ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के रूप में मान्यता प्राप्त थी। वैदिक काल के कई महान संत जैसे ऋषि भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ण, महार्षि विश्वामित्र और वाल्मीकि ने इस क्षेत्र में ज्ञानार्जित किया और आम जनमानल के मध्य वैदिक ज्ञान का प्रसार किया । आर्यों की अनेक पवित्र पुस्तकों एवं ग्रन्थों की रचना उत्तर प्रदेश की धरा पर ही हुई। भारतीय परम्परा के दो विश्व विख्यात महाकाव्य रामायण और महाभारत उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से ही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश दो नए धर्मों-जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा था। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कई केंद्र जैसे- अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के प्रतिष्ठित केन्द्र बन चुके हैं।

मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासन के अधीन रहा और हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के नए संश्लेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ । रामानंद और उनके शिष्य कबीर, तुलसीदास, सूरदास और कई अन्य बुद्धिजीवियों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में अमूल्य योगदान दिया। 1773 में, मुगल सम्राट ने बनारस और गाजीपुर जिलों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। **उत्तर प्रदेश के इतिहास को पांच अवधियों में विभाजित किया जा सकता है:-**

1. **प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक इतिहास**
2. **बौद्ध - हिंदू काल**
3. **मुस्लिम काल**
4. **ब्रिटिश काल**
5. **स्वतंत्रता के बाद का काल**

उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक इतिहास:

उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक सभ्यता पर पुरातात्विक अन्वेषण ने नई रोशनी डाली है। प्रतापगढ़ के क्षेत्र में पाए गए मानव कंकालों के अवशेष लगभग 10,000 ईसा पूर्व के है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के क्षेत्रों का ज्ञान बड़े पैमाने पर वैदिक साहित्य और महाकाव्य-रामायण और महाभारत के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान का वर्णन करते है। महाभारत वर्णित स्थल में हस्तिनापुर और उसके आस-पास के क्षेत्र हैं, जो वर्तमान राज्य के पश्चिमी भाग में है, जबकि रामायण वर्णित राम जन्मस्थान, वर्तमान अयोध्या और अवध के क्षेत्र है। राज्य में पौराणिक कथाओं का एक और केन्द्र मथुरा के पवित्र शहरों के आस-पास का क्षेत्र है, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था।

बौद्ध-हिंदू काल में उत्तर प्रदेश :

भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आता है, जब उत्तरी भारत में सोलह महाजनपद अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से सात पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सीमाओं के भीतर थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक, यह क्षेत्र ज्यादातर राज्य की वर्तमान सीमाओं के बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में था। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले महान राजाओं में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त (321-297 ई0पू0) और अशोक (तीसरी शताब्दी ई०पू०), साथ ही समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे, बाद में एक प्रसिद्ध शासक हर्ष ने राज्य की वर्तमान सीमाओं का अधिग्रहण किया। कन्नौज में अपनी राजधानी से, वह पूरे उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन वैदिक धर्म काफी हद तक ब्राह्मणवाद में विकसित हो गया था जो दूसरी शताब्दी ईसा पूत्र में शास्त्रीय हिंदू धर्म में विकसित हुआ था यह उस अवधि के दौरान विकसित हुआ जब छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कुछ समय के लिए बुद्ध ने वाराणसी के पास के सारनाथ में अपने पहले धर्मोपदेश का प्रचार किया। उन्होंने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की वह न केवल भारत में बल्कि चीन और जापान जैसे कई दूर देशो में भी फैला। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था।

मध्य काल में उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रवृत्तियाँ 1000-30 ईस्वी पूर्व की थी, उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन 12वी शताब्दी के अंतिम दशक तक स्थापित नहीं हुआ था, जब दीन मुअम्मद इब्न सम ने गढ़वालों को हराया और अपना शासन स्थापित किया। लगभग 600 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में, भारत के अधिकांश हिस्सों में एक मुस्लिम वंश द्वारा शासित था। उस समय के दौरान, कई शासक दिल्ली सल्तनत के सदस्य थे। 1526 में, बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर मुस्लिम राजवंशो में सबसे सफल मुगलों की नीव रखी, जिनका साम्राज्य उत्तर प्रदेश में भी था, जिन्होंने 200 से अधिक वर्षों के लिए उपमहाद्वीप पर राज किया। साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमा अकबर (1556-1605) के समय में थी, जिसने आगरा के पास नई राजधानी, फहेतपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते, शाहजहाँ (1628-58) आगरा में दुनिया की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों में से एक ताजमहल का निर्माण किया। शाहजहाँ ने आगरा के साथ-साथ दिल्ली में कई अन्य वास्तुशिल्प इमारतों का भी निर्माण किया। मुगल साम्राज्य ने एक नई संस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया। हिंदू और इस्लाम के साथ-साथ भारत की विभिन्न जातियों के बीच एक सामान्य आधार चाहने वाले कई नए संप्रदाय उस अवधि के दौरान विकसित हुए। रामानंद, ने ही इसी समय इस प्रदेश में वैष्णव मत भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जिसने दावा किया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कबीर (1440-1518) ने सभी धर्मो की एकता का प्रचार किया। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन और उत्तर प्रदेश में नवाबी संस्कृति के कारण लखनऊ, कला और संस्कृति के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। औरंगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के कुछ ही दशकों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में ही बुन्देलखण्ड ने वीर छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। बुन्देलों की यह लड़ाई रुक-रुक कर लगभग 50 वर्षों तक चली। छत्रसाल को पेशवा बाजीराव की सहायता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मराठों के पैर पड़ चुके थे, स्वयं अवध का स्थानीय सूबेदार सादात खाँ सन् 1732 में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सन् 1856 तक राज्य करते रहे। कुछ समय तक मराठों ने गंगा-जमुना दोआब पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया किन्तु 1761 ई. में पानीपत की हार ने उनकी इस विस्तार भावना का अन्त कर दिया और अंग्रेजों ने दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775 तक) के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी। शुजाउद्दौला ने बंगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एवं इलाहाबाद अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी धमकी देकर कभी

फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति से जो विस्तृत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया और उसे पेंशन दे दी। इसी समय झाँसी का राज्य भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच जैसे सम्बन्ध थे वे एक तरफ तो नवाबों की दुर्बलता का तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्मरण दिलाते हैं। अतः सन् 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय स्तर पर सन् 1857 में विद्रोह भड़क उठा। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा सभी धर्मों व वर्गों के लोगों ने महत्तवपूर्ण 'भूमिका अदा की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख़्त खाँ, नाना साहब, मौलबी अहमदउल्ला शाह, राणा बेनीमाधव सिंह, अजीमउल्ला खाँ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संघर्ष में जिस कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गये। कंपनी द्वारा अवध को 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांतो के समूह में विलय कर दिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास: 1947 में संयुक्त प्रांत भारत के नए स्वतंत्र डोमिनियन की प्रशासनिक इकाइयों में से एक बन गया। दो साल बाद टिहरी गढवाल (अब उत्तराखंड), रामपुर और वाराणसी इसकी सीमाओं के भीतर सभी के संयुक्त राज्य में शमिल किया गया था और भारतीय गणराज्य का एक घटक राज्य बन गया। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया। इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों के राज्यकाल में या उसके बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरे भारत के इतिहास से पृथक नहीं रहा, किन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में यहाँ के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। सी.वाई. चिन्तामणि, तेज बहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री तथा रफी अहमद किदवई आदि ये सब राष्ट्र के नेता रहे हैं और सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यह भी कम गौरव की बात नहीं है कि इस प्रदेश से अनेक प्रधानमंत्री राष्ट्र को मिले हैं- पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी इत्यादि ।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले उत्तर प्रदेश का योगदान

सन् 1764 ईसवी के बक्सर युद्ध में मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउदौला एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने भारतीयों को गुलामी की ओर ले गया, जिसे लंबे संघर्ष से प्राप्त स्वतंत्रता के बाद मिटाया जा सका। 1780 ईस्वी में बनारस के राजा चेत सिंह को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया गया। शुजाउदौला के बाद असफउददौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई सादत अली, अवध का नवाब बना। सादत अली ने 1801 में अंग्रेजों को प्रयागराज, गोरखपुर, रोहिलखंड, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिण मिर्जापुर और कुमायूं का क्षेत्र सौंप दिया। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, हमीरपुर, जालौन के क्षेत्रों पर अधिकार करके उत्तर प्रदेश के लगभग समूचे क्षेत्रफल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया।

भारत पर अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के 100 वर्ष बाद 1857 में देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। इसका प्रारंभ 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। यद्यपि नाना साहब के साथ मिलकर अजीमुल्ला खाँ ने बिठूर (कानपुर) में इस स्वाधीनता संघर्ष की योजना तैयार की थी। इस विद्रोह की शुरुआत सैनिकों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार करने के साथ हुई थी। अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों के असंतोष को डराकर दबाने की कोशिश की तो स्थिति विस्फोटक हो गई । 34 वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बलिया निवासी मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मेजर सर्जेंट के ऊपर गोली चला दी, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 34 वी रेजीमेंट को समाप्त कर दिया गया ।

विद्रोही सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, वाराणसी और प्रयागराज में विद्रोह फैल गया। कानपुर में तात्या टोपे के साथ नाना साहब ने अंग्रेजों को चुनौती दी तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया। अनेक देशी शासक इस विद्रोह में तटस्थ बने रहे, जबकि कुछ शासकों ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया ।

झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को शासिका घोषित कर दिया गया, बरेली में खान बहादुर खान ने बतौर नवाब नाजिम सत्ता अपने हाथ में ले ली। अंग्रेजी सेना ने ह्यूरोज के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने सहयोगी तात्या टोपे के साथ ग्वालियर चली गई लेकिन जून 1858 में अंग्रेजों ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। मई -जून 1858 में बरेली, बनारस, प्रयागराज पर भी अंग्रेजों का दोबारा अधिकार हो गया लखनऊ और शाहजहांपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल पराजित होने के बाद नेपाल चली गई जहां, उनकी मृत्यु हो गई। जुलाई, 1858 तक विद्रोह पूरी तरह समाप्त हो गया।

आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी

तारीख-29 मार्च, 1857

दिन-रविवार

जगह-कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर सैनिक छावनी

समय-शाम लगभग सवा पांच बजे

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाला एक भारतीय सैनिक शेर की तरह दहाड़ उठता है। कहासुनी शुरू होती है तब तक देखते-देखते भारतीय शेर अंग्रेज अफसर के ऊपर गोली दाग देता है। 1857 के विद्रोह की यह पहली गोली थी और यह भारतीय शेर कोई और नहीं बल्कि मंगल पांडे था। यह कहानी है मंगल पांडे और 1857 के विद्रोह की।

जीवन-विवरण

अमर शहीद मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा में हुआ था। पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। 22 वर्ष की आयु में मंगल पांडे 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे।

ब्रिटिश अत्याचार का निंदनीय इतिहास

यह वह दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचार अपने चरम पर था। कंपनी किसानों और जमीन के मालिकों से मनमाना टैक्स वसूल रही थी जिसके कारण किसान गरीबी और कर्ज के जाल में

फंसते जा रहे थे। भेदभाव पूर्ण कानून, डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स जैसी हड़प नीतियां, भारतीयों को ऊंचे सरकारी पदों से बाहर रखा जाना और सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों से निम्न दर्जे का व्यवहार किया जाना .... यह सभी राजनीतिक अत्याचार जमके चल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के सामाजिक व्यवस्था और उनके धार्मिक ताने-बाने का रत्ती भर सम्मान नहीं कर रही थी। यानी भारतीयों के मन में असंतोष का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण, राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालीन भारतीय नेताओं द्वारा जन जागरूकता जैसे कई कारण थे।

1857 की क्रांति कैसे भड़की?

आग बहुत पहले से सुलग रही थी, लेकिन उसी समय एक और चिंगारी भड़क गई। दरअसल उसी समय भारत में सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफ़ील्ड बंदूक दी गई, जो 0.577 कैलीबर की बंदूक थी। इस नई एनफ़ील्ड बंदूक में बारूद भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे नमी और पानी की सीलन से बचाती थी। सैनिकों को यह बात पता चली कि ये चर्बी गाय और सुअर की थी। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय मानी जाती है और सुअर मुसलमानों के लिए निषेध।

29 मार्च 1857 को नये कारतूस सैनिकों को दिए गए। मंगल पांडेय समेत बैरकपुर छावनी के कई सैनिकों ने इस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। धोखे से धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश के लिए मंगल पांडे अंग्रेज अफसरों को भला बुरा कहने लगे। इस पर अंग्रेज अफसर ने सेना को हुकुम दिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। इस तरह 1857 के विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से 29 मार्च को ही हुई। मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। बदले में मंगल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की तरह मंगल ने भी खुद को गोली मारने की कोशिश की थी और उन्हें गोली लग भी गई थी, लेकिन उनका निधन नहीं हुआ था। अंग्रेज मंगल पांडे के साहस और उनके प्रभाव से इतना डर गए थे कि उन्हें तुरंत ही फांसी देने का फैसला ले लिया। कोर्ट मार्शल की औपचारिकता के बाद उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी देना तय किया, लेकिन विद्रोह के डर से उन्हें 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई।

इस घटना के बाद से उत्तर भारत में अंग्रेजो के खिलाफ भयानक विद्रोह भड़क उठा। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झाँसी, ग्वालियर और बिहार के आरा ज़िले ... यह सब ऐसे जगह थे जहां अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंक देने की आंधी आ गई थी। 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि चंद ही दिनों बाद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे, लेकिन यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

विद्रोह का प्रभाव

इसने कंपनी शासन का अंत कर दिया और ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने धार्मिक सहिष्णुता को स्वीकार किया और प्रशासनिक एवं सैन्य पुनर्गठन पर काफी ध्यान दिया। इस विद्रोह के कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए और इसने भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत कर दी थी।

उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व

उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की भूमि ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मंगल पाण्डे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, बख्त खां, राव कदम सिंह, अशफाक उल्ला खां, चन्द्रशेखर आजाद, चित्तू पाण्डे, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, राजा महेन्द्र प्रताप, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिडी, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी सहगल आदि की कई ऐसे महान व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान कर दिया। इनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है: -

मंगल पांडे:- मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई, 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगवा गांव में हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फैंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे ने अंग्रेजी रेजिमेंट के अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया क्योंकि वह भारतीय सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस के इस्तेमाल पर जोर दे रहा था। अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे 8 अप्रैल, 1857 को फांसी दे दी।

बेगम हजरत महल:- बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तथा अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और ज़मींदारो की सहायता से हजरत महल ने अंग्रेजो के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अंग्रेजों की रेजीडेंसी पर कब्जा कर लिया।

रानी लक्ष्मीबाई रानी:- रानी लक्ष्मी बाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर, 1828 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था लेकिन इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया और इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई तथा युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए 18 जून, 1858 को वीरगति प्राप्त किया।

मौलवी लियाकत अली:- लियाकत अली उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के चौल गांव के निवासी थे। वे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुसरो बाग पर कब्जा कर लिया।

अशफाक उल्ला खां :- अशफाक उल्ला खान का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के तत्वाधान में हुए काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई थी। अंत में उनको फांसी दे दी गई।

चंद्र शेखर आजादः-चंद्र शेखर आजाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया ,इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सांडर्स की हत्या करके लिया। इन्होंने दिल्ली असेंबली बम कांड को अंजाम दिया था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई।

चित्तू पाण्डे:-चित्तू पांडे का जन्म बलिया जनपद में हुआ था। इन्होंने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बलिया में अस्थाई या समानांतर सरकार की घोषणा की और उसके अध्यक्ष बने । इन्होंने इस सरकार के माध्यम से बलिया के कलेक्टर को सत्ता त्यागने एवं सभी भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को रिहा कराने में सफलता प्राप्त की।

पंडित गोविन्द बल्लभ पंतः- यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। इन्होंने 9 अगस्त, 1925 को काकोरी कांड के नव युवकों के मुकदमे में पैरवी के लिए वकीलों के साथ मिलकर सहयोग किया था। ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं भारत के चौथे गृह मंत्री बने ।

हसरत मोहानी:- हसरत मोहानी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, शायर, पत्रकार एवं समाजसेवी थे, इनका जन्म उन्नाव जनपद में हुआ था। इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इन्होंने पहली बार कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग उठाई थी।

मौलाना शौकत अली:- शौकत अली खिलाफत आंदोलन के एक भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें खिलाफत सम्मेलन के अंतिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।

राम प्रसाद बिस्मिलः- इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। ये 19 वर्ष की अवस्था में ही क्रांतिकारी बन गए। मैनपुरी षडयंत्र केस से बचने के बाद वे 2 साल तक भूमिगत रहे। इन्होंने काकोरी कांड में भी भाग लिया। इन्हें 19 दिसंबर, 1927 को गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी।

राजेंद्र लाहिड़ी:- ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। जिन्हें काकोरी कांड के एक प्रमुख अभियुक्त के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दक्षिणेश्वर बम विस्फोट की घटना में भाग लिया था।

राम मनोहर लोहिया:- राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में हुआ था। 9 अगस्त, 1942 को जब महात्मा गांधी एवं अन्य कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गये तब लोहिया ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। इन्होंने भूमिगत रहते हुए 'जंग जू आगे बढ़ो', 'क्रांति की तैयारी करो', 'आजाद राज्य कैसे बने' आदि पुस्तकें लिखीं।

जवाहर लाल नेहरू:- इनका जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने आयरलैंड में हुए सीन फैन आंदोलन में भाग लिया और 1912 में एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के बांदीपुर सम्मेलन में भाग लिया। 1919 में इलाहाबाद के होमरूल लीग के सचिव बने तथा 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में प्रथम किसान मोर्चा के आयोजन में भाग लिया। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के कारण उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा। ये 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 14 नवंबर को उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

2. उत्तर प्रदेश की संस्कृति और वास्तुकला

परिचय:

उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल से जुड़ा है। जैसे बाँदा (बुंदेलखंड), मिर्जापुर और मेरठ में पाए गए पुरातनस्थल, इसके इतिहास को प्रारंभिक पाषण युग और हडप्पा युग से जोडती है। आदिम पुरूषों द्वारा चाक चित्र या गहरे लाल रंग के चित्र मिर्जापुर जिले की विंध्य पर्वतमाला में बड़े पैमाने पर पाए गये हैं। अतरंगी खेडा, कौशाम्बी, राजघाट और सोंख में भी उसी युग के बर्तन मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति और विरासत की जड़ें गहरी है। इस राज्य ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न शासनों का एक विविध और गतिशील अतीत देखा है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मान्यताओं और परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण तैयार हुआ। इसे कला, वास्तुकला, भाषा और साहित्य की दृष्टि से देखा

जा सकता है। ताजमहल, श्री कृष्णजन्मस्थली, रामजन्मभूमि, कुशीनगर (जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था) गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र नदियों का मिलन स्थल या त्रिवेणी संगम, जैसे स्थान यहाँ पाए जाते है ।

मौर्य काल

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्या के उदय के साथ, कला के इतिहास में एक नया अध्याय आया। कहा जाता है कि अशोक ने सारनाथ और कुशीनगर का दौरा किया था और व्यक्तिगत रूप से इन दो पवित्र स्थानों पर स्तूप और बिहार के निर्माण का आदेश दिया था। उनके निशान गायब हो गए है लेकिन सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशांबी, संकिसा और वाराणसी में मिले शिला स्तंभों के अवशेष मौर्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाते है। अशोक के सभी स्तम्भ चुनार पत्थर से बने है। सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है।

मथुरा कला :-

कुषाण काल के दौरान मथुरा कला अपने शिखर थी। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण कृति बुद्ध की मानवरूपी छवि है, जो अब तक कुछ प्रतीकों द्वारा दर्शायी जाती थी। मथुरा और गांधार के कलाकार अग्रणी थे, जिन्होंने बुद्ध की छवियों को तराशा। जैन तीर्थकारों और हिंदू देवताओं के चित्र भी मथुरा में बनाए गए थे। आम तौर पर ये सभी प्रारंभिक चित्र आकार में विशाल थे। उनके उत्कृष्ट नमूने अभी भी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा के संग्रहालयों में संरक्षित है। मथुरा जिले के मठ में कुषाण सम्राट विम कडफिसेस, कनिष्क और शक शासक चष्टन की बैठी और खड़ी मुद्राओं में विशाल चित्र भी पाए गए है।

स्वर्णिम युग (गुप्तकाल)

गुप्तकाल को भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। देवगढ़ (झाँसी) का पत्थर और ईट से निर्मित दशावतार मंदिर अपने कलात्मक पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन कला और शिल्प के कुछ अन्य नमूने है, जैसे विष्णु चित्र, मथुरा में बुद्ध की खड़ी मूर्ति और सारनाथ संग्रहालय में तथागत की बैठी हुई छवि। कला के मथुरा और सारनाथ दोनों स्थल गुप्त काल के दौरान अपने चरम पर थे। उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान प्रतीकात्मक रूपों और सजावटी उदेश्यो में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई। राजघाट (वाराणसी), सहेत - महेत (श्रावस्ती), भितरंगाव (कानपुर) और अहिच्छत्र (बरेली) में भी न केवल पत्थर बल्कि टेराकोटा से बनी कलात्मक मूर्तियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने पाए गए हैं।

मध्य काल

शर्की शासकों के संरक्षण में शर्की शैली का विकास जौनपुर में हुआ। इन शासकों द्वारा निर्मित स्थापत्य कला के कुछ प्रमुख उदाहरण शाही किला, अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, जामा मस्जिद तथा शाही पुल आदि हैं। मुगल काल के दौरान वास्तुकला की मिश्रित भारतीय और मुस्लिम शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। संगमरमर से निर्मित ताजमहल इस शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस अवधि के दौरान असंख्य किले और स्थान, मस्जिद और मकबरों, रत्नागार और तालाबों का निर्माण किया गया जो अपनी सुन्दरता और भव्य शैली के लिए जाने जाते हैं। जिसमें जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला,बुलंद दरवाज़ा आदि प्रमुख है। मुगल वास्तुकला मुख्य रूप से अकबर ओर शाहजहाँ से जुड़ी हुई है।

नवाबों द्वारा प्रोत्साहन

शाहजहाँ की मृत्यु के बाद स्थापत्य के क्षेत्र में गिरावट आई लेकिन अवध के नवाबों ने भवन निर्माण शैली की कई पुरानी परंपराओं को जीवित रखा। उन्होंने कई जगह, मस्जिदों, दरवाजों, बगीचों आदि का निर्माण कराया। जिसकी विशेषतायें है सुनहरे छतरियों वाला गुंबद ,गुंबद हॉल, मेहराबदार मंडप, भूमिगत कक्ष आदि। आसफ-उद-दौला द्वारा निर्मित बड़ा इमामबाड़ा भव्य है। इसका गुबंदनुमा द्वार शुद्ध लखनऊ शैली का है इसे अपनी तरह का सबसे बड़ा कक्ष कहा जाता है। वास्तव में इस शैली की कुछ इमारतें कला की सुंदर रचनाएँ है। ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद कला को राज्य संरक्षण प्रदान करने की नीति में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। राज्य ने धार्मिक निर्माणों यानी मंदिरों, मस्जिदों आदि के निर्माण में रूचि दिखाना बंद कर दिया और स्कूल कालेजों, सरकारी कार्यालयों आदि जैसे धर्मनिरपेक्ष भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया। ये इमारतें निर्माण गतिविधि में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रतीक है। नवाबों ने उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के इतिहास में एक नए युग की शुरूआत की थी।

उत्तर प्रदेश और शास्त्रीय संगीत

मध्ययुगीन भारत में संगीत की दो अलग धाराओं का विकास देखने को मिला। एक था दरबारी संगीत जिसे शाही संगीत भी कह सकते हैं। संगीत की इस धारा को **आगरा, फतेहपुर-सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बांदा** और **दतिया** के राजघरानों या नवाबी खानदानों में प्रश्रय मिला। दूसरी धारा भक्तिभाव से ओत-प्रोत थी, जिसे भक्ति संगीत के नाम से भी जाना जाता है। यह **मथुरा, वृंदावन** और **अयोध्या** में पुष्पित-पल्लवित हुई। उत्तर प्रदेश के शासकों और संगीतकारों ने हिंदुस्तानी संगीत को बढ़ाने और समृद्ध करने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया।

शहनाई वादक **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान**, कथक सम्राट **पंडित बिरजू महाराज**, तबला वादक **पंडित किशन महाराज**, **बाबा अल्लाउदीन खान** और उनके शिष्य **पंडित रवि शंकर** और **उस्ताद विलायत खान**, ग़ज़ल साम्राज्ञी **बेगम अख्तर, रसूलन बाई, गिरिजा देवी** और अन्य कई प्रतिष्ठित संगीत के पुजारियों ने यूपी में ही रहकर न सिर्फ अपनी कला को विदेशों तक पहुंचाया बल्कि भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत को और बढ़ाने का काम भी किया।

शास्त्रीय संगीत-ख्याल

ख्याल यानी विचार या कल्पना ये फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल गायकी हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी विधा है जो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। ख्याल गायकी की जड़े अगर ढूंढी जाए तो वे हिंदुस्तानी और फारसी संगीत दोनो के मिलाप में मिलती हैं। ख्याल गायकी या शैली की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचारकों की राय में मतभेद है। कुछ विचारक इसे अमीरखुआरो की देन मानते हैं तो कुछ इसे जौनपुर के शर्की सुलतानों की जिसमे

सुलतान मुहम्मद शर्की और हुसैन शाह का नाम लिया जाता है । खैर जो भी हो ख्याल जैसे विशिष्ट संगीत की उत्पत्ति का श्रेय किसी एक को नहीं बल्कि पूरी संस्कृति और यहां के लोगों को दिए जाना ही उचित है।

बंदिश

ख्याल गायकी की रचनाएं बंदिश कहलाती है और इन्हे दो प्रकार से गाया जाता है। विलंबित यानी बड़ा ख्याल और द्रुत यानी लघु या छोटा ख्याल। विलंबित ख्याल ध्रुपद से ही निकला मान जाता है क्योंकि इसे धीमी गति में सांस रोककर और एक ताल में गाया जाता है जबकि द्रुत ख्याल को तेज गति से यानी चपलता के साथ गगाया जाता है। 18वी शताब्दी में मुहम्मद शाह के दरबार में सदारंग और अदारंग नाम के दो गायक हुए जिन्हे तानसेन का वंशज भी कहा जाता है इन दोनो भाइयों ने ख्याल के विकास में बहुत योगदान दिया। उन्होंने ख्याल गायकी में हजारों बंदिशों की रचना की और उन बंदिशों में से कुछ को आज भी गया जाता है।

ख्याल का क्षेत्रीय विस्तार

ख्याल संगीत को कई रागों में गाया जा सकता है इसलिए यह ध्रुपद की तुलना में अधिक लचकदार है। ख्याल गायकी को मुगल संगीतज्ञों द्वारा बहुत प्रसिद्ध किया गया और इसे हिंदू राज्यों का भी समर्थन मिला इसीलिए उत्तर भारत में इसका खूब विस्तार हुआ । उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर लखनऊ और जौनपुर इस कला के केंद्र बिंदु बन गए ।

घराना और गायक

ख्याल गायकी में भी कई सारे प्रमुख घराने हुए। जैसे दिल्ली घराना जिसका श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है । इसके अलावा आगरा घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, इंदौर घराना, जयपुर अतरौली घराना, मेवाती घरानाआदि प्रमुख है । ये तो थी घरानों की बात अब अगर कुछ बड़े गायकों के नाम देखे जो इन घरानों से संबद्ध थे तो उनमें सबसे पहले नाम आता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का ये ग्वालियर घराने और पटियाला घराने से संबद्ध थे जिनका गया हुआ गीत याद पिया की आए आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक मिसाल है। आपने लता दी, मन्ना डे, बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी जैसे बड़े संगीतज्ञों के गीत तो सुने ही होंगे ये सब प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध किसी न किसी बड़े घराने से था जैसे लता दी और मन्ना डे का भेंडीबाजार घराना, भीमसेन जोशी जी का किराना घराना और पंडित जसराज जी का संबंध मेवाती घराने से है ।

शास्त्रीय संगीत-ध्रुपद

उत्तरप्रदेश जो कला की हर विधा में आगे है वो भला संगीत में पीछे कैसे रह जाए। उत्तरप्रदेश की धरती इतनी महान है कि यहां राम से लेकर कृष्ण और बुद्ध तक सब ने विचरण किया। इसी संस्कृति ने उत्तरप्रदेश की अवध और बृज की भूमियों से नए संगीत का सूत्रपात किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को हिंदुस्तानी और कार्नाटिक नामक दो शैलियों में बाटा गया है। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में प्रचलित और विकसित हुआ तो कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय के साथ कई

बदलाव हुए पर इसका प्राचीन रूप तो सामवेद से ही निकला है ।भरतमुनि के लिखे गए नाट्यशास्त्र का भी इसमें प्रभाव पड़ा। इसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ही भाग है ध्रुपद।

ध्रुपद

ध्रुपद वैसे तो अपनी जड़े सामवेद से ही लाया है पर इसका असली स्वरूप तो प्रबंध संगीत से ही निकल कर आया।ध्रुपद संगीत को उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण दरबाराें में स्थान मिला जैसे ग्वालियर के महाराजा ने ध्रुपद को अपने दरबार में एक विशेष स्थान दिया और इसे विकसित कराया। इस कार्य में स्वामी हरिदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा जो भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण संत थे। उन्होंने तानसेन और बैजूबावरा को इसकी शिक्षा दी और फिर इन दोनो ने ध्रुपद को एक विशेष ख्याति दिलाई। तानसेन ने मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आकर इस संगीत को और अधिक उभारा। एक तरफ तो ध्रुपद संगीत दरबारो में ख्याति बटोर रहा था तो वहीं संत लोग इस संगीत को बृज क्षेत्र के मंदिरों में कृष्ण की उपासना करने के उपयोग में लाते थे और ऐसे करते करते उत्तर प्रदेश की भूमि में ध्रुपद का विकास होने लगा। धीरे धीरे करके ध्रुपद भी कई शैलियों में बाटा लगा और इन्हे वाणी कहा जाने लगा।

वाणी

वाणी ठीक उसी तरह है जैसे ख्याल गायकी में घराने होते हैं। ध्रुपद संगीत को गाने वाले गायक बताते हैं की ध्रुपद संगीत को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आराधना के लिए गया जाता है। ध्रुपद संगीत प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का पालन करता है। पहले ध्रुपद संगीत को संस्कृत में गया जाता था पर 15वो शताब्दी आते आते इसको बृज क्षेत्र में बृज भाषा में गया जाने लगा। ध्रुपद संगीत को गाने की शुरुआत आलाप से होती है। ध्रुपद संगीत में मुख्य चार वाणियां है। जैसे गौहर वाणी, डागर वाणी, खंडार वाणी ,और नौहर वाणी। इन वाणियों के अनुरूप ही ध्रुपद में कई सारे घराने हुए। घराने जो गाते तो ध्रुपद ही थे पर उनकी अपनी अपनी स्टाइल थी जो उनके गायन को अन्य घरानों से अलग बनाती थी।। इनमे प्रमुख हुए डागर घराना, तलवंडी घराना,, दरभंगा घराना और बेत्तियाह घराना। अगर आज की बात करे तो ध्रुपद गायकी में डागर भाइयों, और गुण्डेचा भाइयों ने काफी नाम कमाया है।

यूपी के लोक नृत्य

लोक नृत्य पारंपरिक नृत्यों को संदर्भित करता है जो आमतौर पर एक विशेष संस्कृति, क्षेत्र या जातीय समूह से जुड़े होते हैं। ये नृत्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और अक्सर उस समुदाय के इतिहास, रीति-रिवाजों और मूल्यों को दर्शाते हैं जिससे वे उत्पन्न हुए हैं। लोक नृत्य विभिन्न कारणों से किए जाते हैं, जिनमें पारिवारिक समारोह, सामाजिक समारोह, धार्मिक समारोह जैसे कई सुखद पल शामिल होते हैं। लोक नृत्यों की विशेषताएं सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। लोक नृत्यों के साथ संगीत आमतौर पर पारंपरिक होता है और पारंपरिक वाद्ययंत्रों पर बजाया जाता है, जैसे- ड्रम, बांसुरी, तार वाले वाद्य यंत्र या अकॉर्डियन। यूपी के बृज क्षेत्र के लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें कई प्रसिद्ध नृत्य हैं।

चरकुला नृत्य

चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं क्योंकि इस नृत्य में सिर के ऊपर एक रख का पहिया या चक्र रख कर उस के ऊपर कई सारे घड़े रखे जाते हैं और फिर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य होली की दूज के अवसर पर किया है क्योंकि ऐसा माना जाता है की इसी दिन राधारानी का जन्म हुआ था और इसी अवसर पर इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। इस नृत्य में सिर के ऊपर रखे घड़ों में 108 जलते हुए दिए रखे जाते हैं। यह नृत्य वाकई में इतना कठोर होता है की कभी-कभी सिर पर रखे घड़ों का वजन 50 किलो से भी ज्यादा पहुंच जाता है।

मयूर नृत्य

मयूर नृत्य में मोर के पंखों से बना एक विशेष प्रकार का पोषक पहना जाता है और इस नृत्य की भी थीम राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की ही होती है।

झूला नृत्य

बृज क्षेत्र के अन्य प्रमुख नृत्यों में झूला नृत्य का भी नाम आता है । इस नृत्य को सावन के महीनों में किया जाता है। इस नृत्य में बालक और बालिकाएं दोनो भाग लेती हैं और इस नृत्य को मंदिरों में झूले डालकर भी किया जाता है।

रासलीला

बृज क्षेत्रों के अन्य नृत्यों में रासलीला में किया जाने वाला नृत्य और होली से पूर्व किया जाने वाला लट्ठमार होली का नृत्य भी शामिल है। लट्ठमार होली के नृत्य बृज क्षेत्र के बरसाना, वृंदावन आदि क्षेत्रों की खास पहचान बन चुका है।

यूपी के लोक नृत्य - भाग 2

उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का एक राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई लोक नृत्य हैं जो इस क्षेत्र के भीतर लोकप्रिय हैं पर अगर बात बुंदेलखंड की जाये तो यह मध्य भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिसके चलते इसके अपने विशिष्ट लोक नृत्य हैं जो इस क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। बुंदेलखंड के कुछ उल्लेखनीय लोक नृत्य इस प्रकार हैं ।

ख्याल नृत्य

इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है ख्याल नृत्य का। जैसे ख्याल गायकी होती है उसी तरह ख्याल नाम का एक नृत्य भी होता है। यह नृत्य बुंदेलखंड में पुत्र के जन्म के समय किया जाता है । इस अवसर पर बांस और रंगीन कागजों से बना एक मंदिर सिर पर रखकर नृत्य करने की परंपरा है ।

लट्ठमार नृत्य

इसी कड़ी में अगला नाम आता है लट्ठमार नृत्य का यह लट्ठमार नृत्य बृज क्षेत्र की लट्ठमार होली से बिलकुल अलग है । इसे बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के समय किया जाता है जबकि लट्ठमार नृत्य बृज

क्षेत्र में होली के समय होती है । इस नृत्य में हर आयु और वर्ग के लोग हाथों में लठ्ठ लेकर एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा वाला नृत्य करते हैं ।

सौर या सोहरा

इसी क्षेत्र का एक और प्रसिद्ध नृत्य है सौर या सोहरा । यह नृत्य हमीरपुर झांसी और ललितपुर से जुड़े क्षेत्रों में किया जाता है तथा यह फसल की कटाई से जुड़ा नृत्य होता है । जब युवक और युवतियां फसल काटने जाती हैं हाथ में डंडा लेकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करती हैं ।

दीवारी पाई डंडा

बुंदेलखंड क्षेत्र का एक और प्रसिद्ध नृत्य है दीवारी पाई डंडा। यह एक बहुत ही प्राचीन नृत्य है और यह नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है । इसमें नर्तक भगवान कृष्ण का भेष बनाकर ग्वालों के संग डंडे लड़ाकर नाचते हैं । इस नृत्य को प्रायः अहीर समुदाय के लोगों के द्वारा ही किया जाता है । यह नृत्य दिवाली के समय से शुरू होकर संक्रांति के समय तक चलता रहता है ।

यूपी के लोक नृत्य - भाग 3

अवध, उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित है। इस क्षेत्र में वर्तमान के लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, मिर्जापुर जिले के कुछ हिस्से, प्रतापगढ़ और जौनपुर जैसे कई जिले शामिल हैं। इस अवध की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और यह अपने विशिष्ट संगीत, कविता और नृत्य रूपों के लिए जाना जाता है। अवध संगीत और नृत्य के अपने शास्त्रीय रूपों के लिए अधिक प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र से जुड़े कुछ लोक नृत्य के बारे में आज हम जानेंगे।

जोगिनी

जोगिनी नृत्य आमतौर पर पुरुष नर्तकों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष इस नृत्य में महिलाओं के भेष धारण कर लेते हैं। इस नृत्य को रामनवमी की संध्या पर किया जाता है।

कलाबाजी

कलाबाजी में नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर नृत्य करता है। इस नकली घोड़े को कच्छी कहते हैं । कच्छी पर बैठकर नर्तक मोरबाजा नामक एक वाद्ययंत्र भी बजाता रहता है।

ठेठिया या ढेढ़िया

ऐसा माना जाता है की जब भगवान राम 14 बरस का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो यह नृत्य किया गया था। इस नृत्य के दौरान नर्तक अपने सिर पर दीपकों से भरा हुआ एक छिद्रदार मिट्टी का बर्तन रखते हैं और इस बर्तन को ही ढेढिया कहा जाता है।

यूपी के लोकगीत - भाग 1

लोक गीत जिसे साधारण भाषा में कहे तो आम जनमानस द्वारा गाए जाने वाले गीत, यानी जिनमे बहुत ज्यादा कठोर नियमों का पालन नहीं होता, ये गाने में सरल सुलभ और आम जनमानस की ठेठ बोलियों में होते हैं। इनमे अपनी मधुरता होती है साथ ही क्षेत्रीय भाषा की धमक होती है, एक अपनापन होता है और इन्हे अलग-अलग विषयों में गाया जाता है। जैसे- जब बच्चा पैदा होता है तो उत्साह गीत, जब उसका विवाह होता है तो विवाह गीत ,जब कोई त्योहार होता है तो इसके लिए अलग गीत होते हैं। इन्ही गीतों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है ।

कजरी

इन गीतों में सबसे पहला नाम आता है-**कजरी**। कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है इसे भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में गाया जाता है। ऐसा माना जाता है की इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर के क्षेत्र से हुई और यहाँ के लोग माता विंध्यवासनी की उपासना में ये गीत गाते थे। कजरी गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यह अर्ध-शास्त्रीय गायन की विधा के रूप में

विकसित हुई संगीत शाखा है। कजरी गीतों में न केवल सावन की वर्षा ऋतु का वर्णन बल्कि प्रेयसी और पत्नियों के विरह-वर्णन तथा राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे ध्रुपद में वाणी और ख्याल गायकी में घराने होते हैं थी उसी तरह कजरी में **अखाड़े** होते हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इन अखाड़ों में **अक्खड़ अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, पंडित शिवदास अखाड़े** आदि प्रमुख है। कजरी की प्रसिद्ध गायकों वा गायिकाओं में **मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी** आदि गायिकाओं का नाम प्रमुख है ।

सोहर

लोकगीतों की इसी कड़ी में अगला नाम आता है सोहर का। सोहर मुख्य रूप से अवध क्षेत्र का लोकगीत है लेकिन इसे भी समूचे उत्तरप्रदेश में ही गया जाता है। सोहर को उत्तरप्रदेश में बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है और यह एक उल्लास का गीत है इसमें बच्चे के जन्म के समय के क्रियाकलापों को गीत में पिरोकर गाया जाता है सोहर का उपयोग कृष्ण जन्मोत्सव और राम जन्मोत्सव के समय भी किया जाता है सोहर वैसे तो अवध क्षेत्र का ही गीत है पर इसे बिहार और मिथिलांचल के क्षेत्रों में भी खूब गया जाता है इसे अवधी भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में गाया जाता है बिहार क्षेत्र में सोहर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भिकारी ठाकुर को दिया जाता है महेंद्र मिसिर, शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी जैसे लोक गायक और गायिकाओं ने सोहर को देश स्तरीय ख्याति दिलाई है। सोहर आज भी उत्तर प्रदेश में गाये जाने वाले लोकगीतों के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। इसका स्वरुप क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है।

यूपी के लोकगीत - भाग 2

उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो यहाँ के लोकगीत हमेशा उसी क्षेत्र से जुड़े लोगो या क्षेत्रीय संस्कृति का बखान करने वाले होते हैं। ऐसा ही वीर रस से जुड़ा एक संगीत है-आल्हा।

आल्हा

आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है। आल्हा की शुरुआत महोबा से हुई और आल्हा वीर रस से सराबोर होता है। यह लोकगीत महोबा जिले के 12वीं शताब्दी के वीर योद्धा आल्हा और ऊदल की वीरता की कहानी है। जो उत्तर भारत के घर-घर में गाया जाता है। दरअसल चंदेल राजा परमार की सेना में आल्हा और ऊदल नाम के दो सेनापति थे जो युद्ध कला में अद्भुत थे इनकी बहादुरी और युद्ध कला के चर्चे इतने ज्यादा फैले के उनके ऊपर जागनिक नामक दरबारी कवि ने पूरा काव्य परमार रासो नामक किताब में लिख डाला। कहा जाता इन दोनों योद्धाओं ने अलग-अलग 52 लड़ाइयां लड़ीं और सभी में

विजयी हुए। यही नहीं पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को भी इनकी लड़ाई से काफी नुकसान पहुंचाया था। आल्हा-ऊदल को बुंदेलखंड के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। आल्हा गीत को ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी में भी गाया जाता है। आल्हा गीत की खास बात इनके लय में उतार चढाव होता है जैसे-जैसे वीर रस बढ़ता जाता है वैसे-वैसे गायन की गति और तेज होती जाती है। आज भी उत्तर प्रदेश में आल्हा को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है।

बिरहा

बात अगर बिरहा की करें तो बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। जिसे प्रायः अहीर समुदाय के लोगो द्वारा गया जाता है। बिरहा बिरह शब्द से बना है जिसका मतलब होता है-वियोग। इन लोकगीतों में प्रायः विरह का भाव होता है। यह भाव पति के विरह में उदास पत्नी की दशा का वर्णन करता है। बिरहा के शब्द इतने तीखे और चुटीले होते हैं की ये व्यक्ति की भावनाओं को झकझोर कर रख देते है इसीलिए बिरहा पूरे उत्तरप्रदेश में एक समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। बिहारी लाल यादव को बिरहा के जनक के रूप में माना जाता है और चूँकि यह गाजीपुर के निवासी थे इसलिए गाजीपुर से फैलते हुए बिरहा धीरे धीरे बिहार क्षेत्र में भी पहुँच गया। बिरहा आजकल भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी गया जाता है। दरअसल भारत से बिहार और उत्तरप्रदेश के जो मजदूर काम करने के लिए गिरमिटिया देशों में गए और वही के होकर रह गए और अपने साथ वो इन गीतों को भी ले गए। भले ही आज हम अपने इन लोक गीतों को भूल गए हो पर आज भी मॉरीशस सूरीनाम त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में उत्तरप्रदेश और बिहार के ये गीत गाए जाते हैं।

यूपी के लोकगीत - भाग 3

लोक संगीत ऐसे पारंपरिक संगीत को संदर्भित करता है जो किसी विशेष क्षेत्र, संस्कृति या समुदाय से उत्पन्न होता है। यह आम तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही हस्तांतरित होता है लेकिन अब इसे लिखित रूप में भी संरक्षित और रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोक संगीत अक्सर इसे बनाने और प्रदर्शन करने वाले लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभवों को दर्शाता है। इसी तरह यूपी के कुछ लोकगीत हैं जिन्हे हम फाग, नकटा और रसिया के नाम से जानते हैं।

नकटा

नकता अवध क्षेत्र का लोक गीत है और इसे पूर्वांचल के क्षेत्रों में भी गाया जाता है। नकटा गीतों को मजाकिया अंदाज में गाया जाता है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है और इसे

विवाह जन्मसंस्कार आदि के समय पर गाया जाता है जिसमे देवर, भाभी, समधी और समधन आदि के रिश्तों को मजाकिया अंदाज में बयान किया जाता है।

रसिया

रसिया ब्रज क्षेत्र का लोक संगीत है। इसका विषय राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग होता है। ब्रज क्षेत्र में रसिया गीत त्योहारों के समय गाया जाता है। होली के त्योहार के समय इन गीतों को प्रमुखता से गाया जाता है। रसिया गीत गाते समय बम्प नामक एक बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है जिसे डंडों से बजाया जाता है। रसिया का प्रयोग रासलीलाओं में भी कलाकारों के द्वारा किया जाता है।

फाग

फाग एक त्योहार विशेष के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। फाग को होली के त्योहार में ही बुंदेलखंड क्षेत्र तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में गाया जाता है। फाग के मुख्य वाद्ययंत्रों में ढोलक, खंजरी ,ताशे, झांझ, आदि का प्रयोग किया जाता है। फाग एक समूह में गाया जाने वाला लोकगीत है और मुख्यतायः पुरुष लोग ही फाग को गाते हैं । फाग का विषय राम से लेकर कृष्ण और लोक संबंधों के बारे में होता है। इन सब के अलावा चैती नाम का एक और लोकगीत है जिसे पूर्वी उत्तरप्रदेश में गाया जाता है। चैती हिंदू पंचांग के चैत्र माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। दरअसल चैत्र भगवान राम के जन्म का महीना होता है इसीलिए चैती की हर पंक्ति के अंत में राम या रामा शब्द का प्रयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
विधान सभा

3.उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था

उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था- राज्यपाल

भारतीय संघ के समान अन्य राज्यों की तरह **उत्तर प्रदेश में 'संसदीय शासन प्रणाली'** को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है जबकि वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रीपरिषद की सिफ़ारिश द्वारा किया जाता है। मंत्रीपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मंत्रीपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद ग्रहण करती है।

राज्यपाल

भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत, अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यों के राज्यपाल के संबंध में प्रावधान किया गया है। **अनुच्छेद 153** प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के संबंध में प्रावधान करता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जबकि निवर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी।

राज्यपाल के लिए आवश्यक अहर्ता :

अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल पद के लिए निम्न योग्यतायें होनी चाहिए-

- भारत का नागरिक हो ।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
- राज्यपाल, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि संसद का कोई सदस्य किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति की तिथि से सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा।
- अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। यद्यपि संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है।

राज्यपाल पद की संवैधानिक सुचिता बनाये रखने के लिए, सरकारिया आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं, अपवादों को छोड़कर इस परम्परा का पालन किया जा रहा है -

- राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति, स्थानीय दलीय राजनीति से मुक्त हो ।
- राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए ।
- राज्यपाल को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए ।

राज्यपाल का कार्यकाल :

संविधान के **अनुच्छेद 156** के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद ग्रहण करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है किन्तु राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर राज्यपाल कभी भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। चूँकि राज्यपाल राज्य के समस्त कार्यकारी/कार्यपालिकीय कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ऐसे में राज्यपाल का पद रिक्त नहीं रह सकता है, नये राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल पद पर बने रहते हैं।

- **अनुच्छेद -166 के अनुसार** राज्यपाल, राज्य सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने तथा उक्त कार्यो को मंत्रियों में आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
- **राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते-** राज्यपाल के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उसके वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किये जा सकते ।
- **राज्यपाल की शपथ-** संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं।

राज्यपाल की शक्तियाँ

कार्यपालिकीय शक्तियाँ -

- **अनुच्छेद 154 (1)** के अनुसार 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी । इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या मंत्रीपरिषद की सिफ़ारिश पर करता है।
- **अनुच्छेद 164 (1)** के अनुसार - राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रीपरिषद का गठन करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री समेत मंत्रीपरिषद के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद ग्रहण करते हैं।
- **अनुच्छेद 167** के अनुसार राज्यपाल राज्य के शासन प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकता है।

राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां -

- मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री समेत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति (पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा)
- विश्वविद्यालय में उपकुलपति की नियुक्ति
- राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
- उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ विधानपरिषद है वहां विधानपरिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/ 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। जो साहित्य, कला , विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं।

विधायी शक्तियाँ -

- **अनु. 168.** के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भाग है, अर्थात राज्यपाल की अनुमति से ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है।

वीटो शक्ति (अनुच्छेद 200)-

- विधेयक को अनुमति न दे (पूर्ण वीटो)
- विधेयक को पुर्नविचार के लिए वापस लौटा दे। (निलंबनकारी वीटो)
- पॉकेट वीटो (केवल साधारण विधेयक)
- किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना ।

विधानमंडल से जुडी अन्य शक्तियां

- राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, सत्रावसन, राज्य विधानसभा का विघटन करना ।
- आम चुनाव के बाद या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में सदन में अभिभाषण (जिसे मंत्रीपरिषद द्वारा लिखा जाता है)।
- राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना ।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 213)-

अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। जब विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो तब राज्यपाल आपातकालीन परिस्थिति में अस्थायी कानून बना सकता है। जिसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश उन विषयो पर ज़ारी कर सकता हैं, जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है अर्थात राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर।राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद दोनों

सदनों द्वारा सत्रआहुत होने के 6 सप्ताह के अंदर, दोनों सदनों द्वारा इस कानून को पारित करना होता है, अन्यथा समयसीमा के बाद कानून निष्प्रभावी हो जायेगा ।

न्यायिक शक्तियाँ-

- **अनुच्छेद 161** के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति - किसी विधि के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किये गये किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, प्रविलम्ब करने, विराम या परिहार करने की या लघुकरण की शक्ति है लेकिन राज्यपाल को मृत्युदण्ड के मामले में, या संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किये गये अपराध में और सैन्य न्यायालयो के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है।
- राज्यपाल जिला जलों की नियुक्ति और प्रोन्नति आदि उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है।

अन्य शक्तियां

- अनुच्छेद 192 के अनुसार - राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की सलाह पर विधानमण्डल के सदस्यों की निर्हता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है।
  विवेकाधीन शक्तियां -
- अनुच्छेद 356- राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट देना (बिना मंत्रीपरिषद की सिफ़ारिश के)। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
- अनुच्छेद 200- राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल के विधेयक आरक्षित करना ।
- राज्य विधानमंडल के विधेयक को पुर्नविचार के लिए वापस भेजना।
- राज्य विधानमंडल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने स्वविवेक से करता है।
- राज्य विधानसभा में बहुमत खो चुकी सरकार की सलाह पर विधान सभा को भंग करने के लिए बाध्य नहीं ।
- मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद के संबंध में सूचना प्राप्त करना ।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे मुख्यमंत्री के पास बहुमत को लेकर संदेह की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं।

राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद-

राज्यपाल का पद सर्वाधिक विवादित संवैधानिक पद है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है ऐसे में किसी राज्य में विपक्षी दल की सरकार होने पर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य विवाद देखने को मिलता है।

राज्यपाल की पदमुक्ति के संबंध में विवाद -

राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद ग्रहण करता है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ऐसे में राज्यपाल स्वतंत्र भूमिका का निर्वहन नहींकर सकता'। विपक्ष दल द्वारा शासित राज्यों में आरोप लगता है कि राज्यपाल केन्द्र के एजेन्ट के रूप में कर कर रहे हैं। राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों (जैसे- राष्ट्रपति शासन के लिए दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट देना, राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करना और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में) के दुरुपयोग पर प्रश्न उठता रहता है।

उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था-राज्य विधानमण्डल

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 168-212 राज्यों के विधानमण्डल के संबंध में प्रावधान करता है। जिसके अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार,

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश) में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय विधानमण्डल वाले राज्यों को बाइकेमरल स्टेट कहा जाता है। इन राज्यों में राज्यपाल, विधान सभा तथा विधानपरिषद मिलकर राज्य विधान मण्डल का निर्माण करते हैं।

राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनु. 169 के अन्तर्गत संसद को प्राप्त है। यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से विधान परिषद के संबंध में प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। इस प्रकार के कानून को, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।

विधानसभा

विधान सभा की संरचना के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 170 में किया गया है। किसी प्रदेश की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 (पुदुचेरी सिक्किम, गोवा इस नियम का अपवाद हैं) हो सकती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य होते हैं। जो सदस्य संख्या के आधार पर देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। सबसे छोटी विधानसभा पुदुच्चेरी की है, जहाँ कुल सदस्य संख्या 30 है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का विधान सभा युक्त एक द्विसदनीय विधायिका है| उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल भारत के सबसे बड़ी विधायिका है उत्तर प्रदेश विधान सभा द्विसदनीय विधान मण्डल का निचला सदन है जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं| उ०प्र० विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। वर्ष 1967 तक एक आंग्ल भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 431 थी। वर्ष 1967 के पश्चात् विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 426 हो गई। 9 नवम्बर, 2000 को उ०प्र० राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखण्ड के गठन के पश्चात् विधान सभा की सदस्य संख्या 403 निर्वाचित एवं एक आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्य को सम्मिलित करते हुए कुल 404 हो गई है। 25 जनवरी, 2020 को लागू हुए संविधान (104वें संशोधन) अधिनियम, 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है | फलस्वरूप, वर्तमान में विधान सभा की कुल संख्या 403 हो गई है | विधान सभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है यदि वह इसके पूर्व विघटित न हो गई हो। प्रथम विधान सभा का गठन 8 मार्च, 1952 को हुआ था। तब से इसका गठन अठारह बार हो चुका है। वर्तमान अठारहवीं विधान सभा का गठन 11 मार्च, 2022 को हुआ।

सदस्यों का निर्वाचन : विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन के संचालन का दायित्व भारत का निर्वाचन आयोग करता है।

सदस्य बनने की अहर्ता-

अनुच्छेद 173 के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए -

- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो।

आरक्षित सीटें

अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, तथा एक सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं।

कार्यकाल:

अनुच्छेद 172 के अनुसार- विधानसभा की पहली बैठक से उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर या विशेष परिस्थितियों में अपने स्वविवेक के आधार पर राज्यपाल अवधि पूर्व ही विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह की अवधि से अधिक विधानसभा का कार्यकाल नहीं हो सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष:

विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। यदि विधानसभा सदस्य पूर्ण बहुमत से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते हैं तो उन्हें समय से पहले पद से हटना पड़ता है। विधानसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर कार्यरत रहते हैं जब तक नई विधानसभा की पहली बैठक आयोजित न हो। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं।

अध्यक्ष के अधिकार तथा कर्तव्य-

- वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
- वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलम्बित कर सकता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं । इसका निर्णय अध्यक्ष करता है।
- यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' का प्रयोग करता है।
- वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय हो।
- सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है।
- अध्यक्ष, सदन तथा राज्यपाल के बीच सम्पर्क स्थापित करता है।
- वह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो तो विधानसभा अपने सदस्यों में से कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेती है।

विधान परिषद :

राज्य विधान मण्डल का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। राज्यसभा के समान ही यह स्थायी सदन है। अत: राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को विधानपरिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है। यदि राज्य विधानसभा दो तिहाई बहुमत से विधान परिषद के संबंध में प्रस्ताव पारित करती है। इस प्रकार,यह विधानसभा की तुलना में कम महत्वपूर्ण सदन है। क्योंकि इस सदन का अस्तित्व विधानसभा के प्रस्ताव पर निर्भर करता है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं।

विधान परिषद का गठन - विधान परिषद का गठन- अनु. 171 विधान परिषदों की रचना या गठन से संबंधित है जो प्रावधान करता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी, किन्तु किसी विधानपरिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक (100) सदस्य है। जबकि तेलंगाना विधानपरिषद में सबसे कम 43 सदस्य हैं।

सदस्यों का निर्वाचन: अनु. 171 (3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है।" कुल चार प्रकार के निर्वाचक मण्डल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं तथा शेष सदस्य समाज सेवा, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के कारण, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है।

निर्वाचक मण्डल के प्रकार

विधान सभा का निर्वाचक मण्डल - विधान परिषद के एक तिहाई (1/3) सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है।

स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मण्डल- विधान परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सदस्यों में निर्मित निर्वाचक मण्डल द्वारा चुने जाते हैं।

शिक्षकों का निर्वाचक मण्डल- विधान परिषद के सदस्यों का बारहवाँ (1/12) भाग उन शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष से शिक्षण कार्य में सलंग्न हो।

स्नातकों का निर्वाचक मण्डल- विधान परिषद के सदस्यों का लगभग बारहवाँ भाग (1/12) ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना आये जो कम से कम तीन वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय में स्नातक कर चुके हो ।

राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य

विधान परिषद के शेष सदस्य अर्थात् कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।

सदस्यों की अर्हता - संविधान के अनु. 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह-

- भारत का नागरिक हो।
- 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा
- ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो।
- लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 के अनुसार- विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की किसी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए तथा मनोनीत किये गये सदस्य को उस **राज्य का निवासी होना चाहिए, जिसकी विधानपरिषद का यह सदस्य बनना चाहता है।**

कार्यकाल- विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी विघटित नहीं होती है बल्कि इस के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं। विधानपरिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद में एक सभापति तथा एक उपसभापति होता है। इनके कार्य व अधिकार वही हैं जो राज्य विधानसभा के सभापति और उपसभापति के होते हैं। विधानमण्डल के दोनों सदनों के सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के सम्मुख संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था- मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता

उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को पांच साल के लिए नियुक्ति करता है, जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। जिसके चलते राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख बना रहता है, जबकि मुख्यमंत्री और उनकी परिषद दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइये विस्तार से इन समस्त प्रावधानों पर नजर डालते हैं।

राज्य की मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 163- राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। **अनुच्छेद 164 -** राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सभी मंत्री, राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद को धारण करते हैं।

विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। यदि विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य की मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप में राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% निर्धारित की गयी है। इस प्रावधान के अनुसार 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में, मंत्रिपरिषद में कुल 61 सदस्य हो सकते हैं।

मंत्री बनने की योग्यता :

राज्यपाल , मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य मंत्री बनने के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है तब भी मुख्यमंत्री उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है लेकिन उस व्यक्ति को 6 माह में, किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा । ऐसा करने में असफल रहने पर उसे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ेगा ।

मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण : पद ग्रहण से पहले मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सभी सदस्य दो बार शपथ लेते हैं प्रथम शपथ पद की तथा दूसरी गोपनीयता की। शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है।

मंत्रियों की श्रेणियां:

राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां हैं-

कैबिनेट मंत्री- वरिष्ठतम मंत्री, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, तथा प्रमुख पोर्टफोलियो संभालते हैं।
राज्यमंत्री- मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं।

उपमंत्री- कनिष्क मंत्री, जिन्हें स्वतंत्र रूप से कोई मंत्रालय नहीं दिया जाता है।

मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का भाग है, जो आकार में छोटा किन्तु महत्व की दृष्टि से मंत्रिपरिषद से अधिक महत्वपूर्ण होता है। शासन की नीतियों का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है।

मंत्रिपरिषद का कार्यकाल:

मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। सामान्यत पूर्ण बहुमत वाली सरकार का कार्यकाल, विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री कभी भी राज्यपाल से सिफ़ारिश कर मंत्रिपरिषद में फेर बदल कर सकता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्री परिषद के प्रति, या किसी एक मंत्री के प्रति विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी होता है अर्थात कोई मंत्री अपनी ही मंत्री परिषद द्वारा पारित किसी नीति / योजना की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता है।

मुख्यमंत्री

राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आमतौर पर विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाध्य है। यदि विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जिसे विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है।
श्री गोविन्द वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जबकि श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तरप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किसी भी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी) थी ।

मुख्यमंत्री बनने की अहर्ता:

- **विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य हो या 6 माह की समयावधि में विधानमण्डल का सदस्य** बनने की योग्यता रखता हो ।

मुख्यमंत्री की शक्तियां:

मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का एवं उनके विभागों का चयन अपने विवेकानुसार करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है।

अनु. 167 में वर्णित मुख्यमंत्री के कर्तव्य:

- राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से संबंधित सूचना देना।
- राज्यपाल द्वारा ऐसी सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध कराना।
- मुख्यमंत्री, विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वह राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रीमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री मंत्रीमण्डल की अध्यक्षता करेगा ।
- शासन के सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य मुख्यमंत्री करता है।

राज्य का महाधिवक्ता :

महाअधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा,मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। (अनु. 165)

महाधिवक्ता बनने के लिए अहर्ता

व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो अर्थात जो भारत का नागरिक हो । 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो।

कार्यकाल:

महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है। यानि उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।

महाधिवक्ता, राज्यपाल द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त करता है।

कार्य:

- महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य विधि मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना है।
- समय समय पर राज्यपाल उसे क़ानूनी कार्य सौंप सकते हैं।
- महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय में, सरकार का पक्ष रखता है।
- अनुच्छेद 177 के अनुसार - महाधिवक्ता राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है किन्तु उसे सदन में मतदान का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है।

4. उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसके प्रभाव

स्वतंत्रता पश्चात्, संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में वर्णित सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस की गयी। भारत सरकार ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नौवी अनुसूची को जोड़कर भूमि सुधार को लागू किया गया। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संबंध में जे.सी.कुमारप्पन समिति का गठन किया गया।

भूमि सुधार के उद्देश्य-

- बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु।
- जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर छोटे किसानों को शोषण से मुक्त करवा कर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश भूमि सम्बन्धी कानूनी जानकारियाँ :

उत्तर प्रदेश पहले आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत को शामिल करने वाले प्रान्त के रूप में जाना जाता था। यद्यपि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रवर्तन पर इनमें राजस्व विधि की समान प्रणाली थी किन्तु 1939 के उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम-17 के पुनःस्थापन तक कास्तकारी विधि अत्यन्तिक रूप से भिन्न थी। आगरा के प्रान्त को पहले उत्तर पश्चिम प्रान्त के रूप में जाना जाता था, जो फोर्ट विलियम के प्रेसीडेंसी का भाग था और जिसे बंगाल विनियम द्वारा शासित किया जाता था।

वर्ष 1859 में, 1859 का लगान वसूली अधिनियम संख्या 10 पुनः स्थापित किया गया, जिसने एक तरह से अधीनस्थ काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित किया किन्तु इसने मनमाने पूर्ण बेदखली के लिए मार्ग खोल दिया जबकि काश्तकारों को लगान की वृद्धि से और अनैतिक भू-स्वामियो द्वारा व्यर्थ मुकदमेंबाजी से कोई पर्याप्त संरक्षण प्रदान नही किया। यह महसूस किया गया कि यह विधि क्रान्तिकारी परिवर्तन की अपेक्षा करती है किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण वर्ष 1926 तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा सका ।

अवध प्रान्त ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा अधिनियमन के पूर्व, अवध के राजाओं द्वारा शासित किया जाता था। उनकी राजस्व की वसूली की भिन्न-भिन्न प्रणाली थी और इसे मुस्ताजीरी के माध्यम से या नाजिम, चकलादार या अन्य वसूली पदाधिकारियों की नियुक्ति द्वारा वसूल किया जाता था। भूमि के तात्कालिक धारक का कोई सारभूत अधिकार नही था और वे इन लगान वसूल करने वालो की दया पर थे। अवध को 13 फरवरी, 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी को अवध के अंग्रेज अधिकारी आउट्रम ने अवध में बन्दोबस्त को पूरा करने के लिए एक पत्र लिखा लेकिन इस बंदोबस्त के पूरा होने से पहले ही 30 मई 1857 को 1857 की क्रान्ति आरम्भ हो गयी। चूंकि ब्रिटिश सरकार का प्राधिकार स्थाई हो गया, इसलिए पहले से पारित किये गये सभी अभिलेख नष्ट कर दिये गये। क्रांति के समाप्त होने के बाद, भारत के वायसराय लार्ड कैनिंग ने अवध प्रान्त की भूमि में सभी स्वत्वधारी अधिकारों को जब्त कर, 15 मार्च 1859 को घोषणा जारी की । इसके बाद दूसरा संक्षिप्त बंदोबस्त लागू किया गया। जिससे ताल्लुकदारों और भू स्वामियों की स्थिति सुनिश्चित हो गई किन्तु अधीनस्थ स्वत्वधारियों या अन्य अधीन काश्तकारों को कोई रियायत नहीं दी गयी ।

वर्ष 1864 में सर जान लॉरेन्स भारत के वायसराय बने। वे पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रान्त में लगान विधि के कार्य को संपन्न किया था, वह ऐसी ही प्रक्रिया अवध में लागू करने के हिमायती थे। उन्होंने अवध उप-बन्दोबस्त अधिनियम 1886 द्वारा अधीनस्थ काश्तकारों के अधिकारों को पुन: मान्यता देने

का मार्ग प्रशस्त किया और इसी के परिणामस्वरूप, 1868 में अवध के लिए प्रथम लगान अधिनियम, (1868 का अधिनियम-19) पारित किया गया । तत्पश्चात,1870 के अधिनियम 7 द्वारा कुछ भाग को हटाया गया । कुछ बिन्दुओं को 1871 के अधिनियम 32, 1876 के अधिनियम 18, 1878 के अधिनियम 14 और 1882 के अधिनियम 14 द्वारा संशोधित किया गया है। वर्ष 1886 में, 1886 का अधिनियम पारित किया गया जिसने काश्तकारों को कुछ संरक्षण प्रदान किए। इस अधिनियम द्वारा किए गये प्रावधान निम्न थे-

- काश्तकारों का कानूनी अधिकार
- लगान की वृद्धि की सीमा,
- बेदखली पर निर्बन्धन और
- सुधार का काश्तकारों का अधिकार

1890 के अधिनियम 20 और 1891 के अधिनियम 12 द्वारा संशोधन किया गया किन्तु उसके द्वारा उस सिद्धांत को परिवर्तित नहीं किया गया, जिस पर मूल अधिनियम निर्मित किया गया था। 1901 के संशोधन अधिनियम 4 ने लगान विधि में दो नए प्रावधान किये -

- पूर्व स्वत्वधारी काश्तकारों का पुनर्ग्रहण और
- लगान मुक्त अनुदानका पुनर्ग्रहण।

यद्यपि ये अधिनियम और संशोधन अपने प्रभाव में प्रभावी थे फिर भी आर्थिक स्थिति को परिभाषित करने में सफल नहीं हुए, जो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि के विकास और कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के साथ उत्पन्न हुए थे। हर ओर असन्तोष और गुस्सा बढ़ रहा था। जिसे भुनाने के लिए अन्ततः **किसान सभा** द्वारा आन्दोलन आरंभ हुआ। सम्पूर्ण प्रान्त में भीषण दंगे हुए। आन्दोलनकारियों का नारा था **"नजराना नहीं, बेदखली नहीं",** जबकि बदले में भू-स्वामियों ने काश्तकारों के बीच सम्बन्ध को सुधारने के लिए और विशेष रूप से काश्तकारों को उचित लगान देने के लिए 1921 का अवध लगान (संशोधन) अधिनियम- 4 लागू किया ।

इस अधिनियम पर आगरा प्रान्त में प्रतिक्रिया हुई। किसानों के एका आंदोलन ने ज़ोर पकड़ लिया और सरकार दो निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हुई- (1) यह असभ्यपूर्ण है और आगरा प्रान्त के असंरक्षित काश्तकारों को अवध में नए कानूनी काश्तकारों की अपेक्षा कम सुरक्षित स्थिति में छोड़ना सम्भव नहीं है (2) इस मामले पर विचार करना उस समय हमारा कर्तव्य है, जब प्रान्त में शान्ति हो, जिससे उपर्युक्त समय में कृषक असन्तोष के ऐसे आधारों को दूर किया जाए जो असंतोष को बढ़ावा दे।

सरकार ने परिणामस्वरूप 1926 का आगरा काश्तकारी अधिनियम-3 लागू किया । ये अधिनियम भूस्वामी और सरकार के बीच समझौते का परिणाम था, जो काश्तकारों और अन्य अधीनस्थ काश्तकारों के हितों

का प्रतिनिधित्व करता था। इस अधिनियम का उद्देश्य काश्तकारों के संरक्षण का सुनिश्चित करते हुए सरकार द्वारा भू-स्वामियों को कुछ रियायत प्रदान करना था। इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरुप 1930-31 में 'लगान नही' और 'राजस्व नहीं' आन्दोलन शुरू हुआ जिसका कारण लगान की उच्च दर का होना था, जो कृषि उत्पाद की कीमत में अचानक कमी के कारण दमनकारी हो गया। स्थिति को सम्भालने के लिए सरकार ने 1930 का संयुक्त प्रान्त आपात शक्ति आदेश-12 और 1932 का संयुक्त प्रान्त विशेष शक्ति अधिनियम-14 लागू किया। काश्तकारों की 1932 के संयुक्त प्रान्त लगान बकाया अधिनियम-1 द्वारा लगान के बकाये के कारण बेदखली से संरक्षण प्रदान किया गया। 1937 और 1938 फसलों के लिए बकाये में 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान करता था।

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अन्तर्गत निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी निम्नवत् है-

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत की गयी।

24 जनवरी 1951 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह गज़ट में प्रकाशित हुयी, जिसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम व जमींदारी कानून दोनों लागू है। इस लिए दोनों तरह की जोतें है और दोनों तरह की भूमि सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये जाते है जिनको जमींदार उन्मूलन तथा जमींदारी क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2015 उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 26 अगस्त, 2015 को विपक्षी दलों के विरोध के बीच अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अन्य जातियों के लोगों को बेचने पर लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2015 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस विधेयक के जरिये मौजूदा कानून के उस प्रावधान को शिथिल करने की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति जिलाधिकारी की अनुमति के बिना अपनी जमीन अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं बेच सकता। यदि उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो वह जिलाधिकारी की अनुमति से भी उसे नहीं बेंच सकते।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम :

उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के पुर्नगठन व सुधार तथा कृषि क्षेत्र में नहर, नाली, सड़क, चकरोड एवं गाँव में ग्राम पंचायत, स्कूल, चारागाह आबादी, सड़क एवं अन्य सार्वजनिक आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश

जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होकर 4 मार्च सन् 1954 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ तथा 8 मार्च 1954 को गज़ट होकर उत्तर प्रदेश में लागू हुआ।

- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुमान पर कि अमुक्त गाँव में चकबन्दी की आवश्यकता है तो उस गाँव में धारा 4 (1) का प्रकाशन राज्य सरकार करती है। धारा 4 के प्रकाशन के बाद गाँव के वर्तमान अभिलेख चकबन्दी विभाग के सम्बन्धित पैमाइश कर्ता को प्राप्त होता है जो गाँवों के पैमाइश कर नक्शा बनाकर व मिलान कर चकबन्दी विभाग को सौंपता है। चकबन्दी कर्ता पुनः उक्त गाँव के प्रत्येक लाट को मौक़े पर मिलाता है तथा उनसे सम्बन्धित समस्त तथ्यों जैसे रकवा, खातेदार की मृत्य, भूमि पर मालिकाना हक़, फ़सलों के प्रकार आदि कई प्रश्नों पर परीक्षण करते हैं और उक्त खसरा को आकार पत्र 2 कहते हैं।
- आकार पत्र 2 एवं अन्य एकत्रित सूचनाओं के आधार पर आकार पत्र 11 बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक बिन्दू जो भूमि व मालिकाना को प्रभावित करते है। उनको विन्दूवार व खातावार अंकित किया जाता है तथा इसी की प्रतिलिपि खातेदार को आकार पत्र 5 के रूप में वितरीत होती है।
- चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 21 दिन के अन्दर अपील धारा 11 के अन्तर्गत बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी के समक्ष होती है जो इन दोनों पक्षों को सुन कर निर्णय करता है।
- उप पंचायत चकबन्दी धारा 48 चकबन्दी अधिनियम के `अन्तर्गत बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निगरानी सुनता व निर्णय करता है। यह चकबंदी का अंतिम न्यायालय है। इसके विरुद्ध क्षुब्ध व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- जिस गाँव में 50 से ज्यादा विवादों का निपटारा हो जाता है तो वहाँ धारा 19 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारों के चको का निर्माण रास्ता,नहर चकनाली आदि 5 प्रतिशत तक कटौती द्वारा किया जाता है और उसको आधार पत्र 23 में खातेदार को वितरीत कर तथा 21 दिन के अन्दर खातेदार को आपत्ति करनी होती है। उक्त आपत्ति का चकबंदी अधिकारी द्वारा निपटान किया जाता है जिसकी अपील धारा 21 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष होती है ।
- इस प्रकार गाँव के भूमि का प्रबन्धन करने का प्रावधान है किन्तु सरकार, कर्मचारियों के काम चलाऊ तरीकें एवं ग्रामीणों में जागरुकता की कमी एवं भ्रष्टाचार के कारण एक उचित प्रक्रिया का निरुपण नही हो पा रहा है। इसमें हजारों वाद निलम्बित है तथा कृषक न्याय पाने से वंचित हो रहे हैं।

निष्कर्ष-

नीति आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भूमि जोत के आकार में वृद्धि को महत्वपूर्ण माना है। जिसके लिए सहकारी कृषि को बढ़ावा देने और भूमि को पट्टे पर देने की आवश्यकता है। स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण करने जैसे अन्य आधुनिक उपायों को अपनाना चाहिए। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की गति सुस्त है। आधुनिक तकनीकि, कुशल मानव प्रबंधन के द्वारा इसमें तेजी लाई जा सकती है।

5. उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य

हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजीटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए एक सोसाइटी के गठन पर सहमति दी गई एवं राज्य इकाई को औपचारिक रूप से प्रारम्भ किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विकास हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं, मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। सतत विकास लक्ष्य-3 के अंतर्गत सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में तीन स्तंभों के रूप में उप स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) के साथ त्रि-स्तरीय प्रणाली शामिल है।

चुनौतियाँ

- उत्तर प्रदेश डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। बीते कई सालों से राज्य में डॉक्टरों की कमी है, इस कारण से राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ही नहीं बल्कि सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं देने और विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने वाले एसजीपीजीआई में भी एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी है।
- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 ने समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया है।
- प्रदेश सभी स्तरों पर बेड और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी से जूझ रहा है।

राज्य स्वास्थ्य नीति

- उत्तर प्रदेश की पहली राज्य स्वास्थ्य नीति 2017 में घोषित की गयी, जिसके तहत प्रदेश ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्वास्थ्य पर खर्च को 1.4% से बढ़ाकर 2.5% करने की योजना बनाई है।
- राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग स्थापित करने पर भी विचार कर रही थी, जबकि डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ नैदानिक संवर्ग के अधीन होंगे।
- स्वास्थ्य नीति वित्त, सामाजिक और पर्यावरण निर्धारकों, शासन, दवाओं तक पहुंच, निदान और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, मानव संसाधन और सेवा वितरण पर केंद्रित है।

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2023-24, में चिकित्सा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करके मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवम आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु क्रमशः 1547 करोड़ रूपए और 400 करोड़ रूपए प्रस्तावित किए गए हैं।

एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज योजना

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत सरकार ने 'एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज' की योजना 2021 में बनाई है जिसके तहत सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे । 75 में से 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, इसके अलावा बचे 16 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर बनाए जाएंगे।

हेल्थ एटीएम

लोक स्वास्थ्य को बेहतर करने के दृष्टि से सरकार ने प्रदेश के सभी 4,600 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ ATM की हाईटेक सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। एक हेल्थ एटीएम 30 से अधिक बीमारियों की तुरंत जांच कर सकता है। इन 30 तरह के टेस्ट की रिपोर्ट प्रिंटआउट, व्हाट्सएप, ई-मेल और एसएमएस के जरिए बहुत कम समय में मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, परीक्षण के परिणाम डॉक्टरों द्वारा टेलीमेडिसिन हब पर साझा किए जाएंगे, जिससे रोगी के समय की बचत होगी।

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 1 मार्च 2019 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। योजना के तहत लाभार्थी को 5 लाख रूपए तक का बीमा देने का प्रावधान है।

आरोग्य स्वास्थ्य मेला

इसके तहत प्रत्येक रविवार को सभी नगरीय एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) पर 'मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला'आयोजित किया जाएगा। इसमें चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं आयुष विभाग की भी सेवाएं दी जाएंगी।

102 एंबुलेंस टोल फ्री नंबर

यह एक टोल फ्री नंबर (इस नंबर पर कॉल करने पर कोई पैसा नहीं लगेगा) 102 सेवा एक निशुल्क एंबुलेंस सेवा है जो लोगों को 24×7 सेवा प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति

- रिपोर्टस के मुताबिक, जहां 2019 में 14 अस्पतालों में कुल 13,112 सी-सेक्शन किए गए, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 26,583 हो गई।
- अस्पतालों में ओपीडी या बाह्य रोगी विभाग के प्रवेश, जो 2019 में 56,30,550 थे, 2022 में बढ़कर 85,10,165 हो गए। इन अस्पतालों में की गई बड़ी सर्जरी की संख्या 2019 में 35,290 से कम थी, लेकिन 2022 में बढ़कर 67,867 हो गई।
- इसके अतिरिक्त, रोगी विभाग में प्रवेश की संख्या भी 2019 में 4,28,280 से बढ़कर 2022 में लगभग 8,91,081 हो गई।
- बेहतर स्टाफिंग और अधिक से अधिक निगरानी ने अस्पतालों के पक्ष में काम किया।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। 14 नए मेडिकल कॉलेजों को जोड़ने के साथ, सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
- प्रदेश सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के अस्पताल की उपलब्धता कराये जाने की घोषणा की है । अगले पांच वर्ष में 10,000 नए उपकेंद्र बनाने हैं। बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए डाक्टरों और नर्सों की पर्याप्त तैनाती होनी चाहिए। डाक्टर-नर्स का अनुपात 1:1 होने का लक्ष्य रखा है ।
- प्रदेश सरकार ने 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- यूपी सरकार ने 2023 -24 बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 17,325 करोड़ रुपये दिये गये। चिकित्सा शिक्षा के लिए 2 हजार 8 सौ 37 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक 12 हजार 6 सौ 31 करोड़ की धनराशि जारी की गई है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके।

6. यूपी में गैर सरकारी संगठन: मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव

विश्व बैंक की परिचालन नियमावली एनजीओ को स्वैच्छिक संगठनों के रूप में परिभाषित करती है जो पूरी तरह से सरकार से स्वतंत्र हैं और मुख्य रूप से व्यावसायिक गतिविधियों की तुलना में सामाजिक सेवा में विशेषज्ञयता प्राप्त होती है। ये अलाभकारी संगठन हैं जो सामुदायिक विकास और बुनियादी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र से सम्बद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। गैर-सरकारी संगठनों को 'स्वैच्छिक

संगठन' या 'नागरिक समाज संगठन' भी कहा जाता है। एक गैर-सरकारी संगठन एक कानूनी रूप से गठित संगठन है जो निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा बनाया गया है जिसमें किसी भी सरकार की भागीदारी या प्रतिनिधित्व नहीं है। एनजीओ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, भारतीय न्यास (ट्रस्ट) अधिनियम 1882 अथवा कंपनी पंजीकरण अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

यूपी की विकास प्रक्रिया में एनजीओ की भूमिका और योगदान

नीति आयोग के एनजीओ दर्पण (NGO DARPAN) के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 23540 एनजीओ कार्यरत हैं। ये एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख और कुपोषण, महिला अधिकारिता, ग्रामीण विकास, स्वच्छता आदि के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं। ये एनजीओ सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के समन्वय और पूरक हैं। जहां सरकार ऐसा करने में विफल रहती है वहां वे सामाजिक सेवाओं में हो रही कमी को भरने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन : उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठन और विकास प्रक्रिया में उनका योगदान इस प्रकार है:

फूड फॉर लाइफ, वृंदावन : फूड फॉर लाइफ वृंदावन, 1991 से वृंदावन क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके कार्यक्षेत्र में मुफ्त भोजन वितरण, सफाई और वृक्षारोपण, पेपर रीसाइक्लिंग, जैविक खेती, सिलाई और कढ़ाई केंद्र (ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना) शामिल हैं। फूड फॉर लाइफ वृंदावन, वृंदावन में स्कूल चलाता है, 1500 से अधिक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, कौशल प्रशिक्षण और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है।

जन विकास समिति, वाराणसी : यह 1997 से सामाजिक विकास में कार्यरत है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला अधिकारिता और कौशल प्रशिक्षण है।

अभिनव, मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में स्थापित, अभिनव सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यरत हैं। वे जल परीक्षण विधियों, और स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को सिखाते हैं। वे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और शिक्षा प्रणाली के विकास, बुजुर्ग लोगों की देखभाल, प्रौद्योगिकी और कृषि गतिविधियों में सुधार पर भी काम करते हैं।

गुरिया इंडिया, वाराणसी : गुरिया एक गैर-लाभकारी संगठन है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में बाल वेश्यावृत्ति, दूसरी पीढ़ी की वेश्यावृत्ति, जबरन श्रम या यौन संबंध के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी से लड़ने के लिए समर्पित है।

श्रमिक भारती, कानपुर : श्रमिक भारती कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों के साथ काम करता है। श्रमिक भारती महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है।

हरीतिका , झांसी : बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हरित क्रांति लाने के लिए गठित किया गया है। विभिन्न जल स्रोतों का दोहन करके, उन्होंने जल संचयन और प्रबंधन, फसल अनुकूलन, मृदा संरक्षण और वनीकरण से संबंधित स्थायी परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से काम किया है।

उत्तर प्रदेश के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

राज्य संसाधनों की अपर्यप्ता के पूरक: ऐसे दो मुख्य क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सरकारी स्कूल या अस्पताल नहीं हैं। अगर वे मौजूद भी हैं, तो उनके पास संसाधन नहीं हैं। एनजीओ इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। एनजीओ मानवीय सहायता, क्षेत्रीय विकास हस्तक्षेप और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं।

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन: गैर-सरकारी संगठन आम जनता से निकटता के कारण सरकार और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठन कार्यान्वयनकर्ता, उत्प्रेरक और भागीदार की तीन भूमिकाएँ निभाते हैं।

गैर-सरकारी संगठन और आपदा प्रबंधन: गैर-सरकारी संगठन आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रबंधन में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका क्षमता निर्माण, जन जागरूकता अभियान, अभ्यास, कार्यशालाओं और सम्मेलनों आदि के माध्यम से पूर्व-आपदा तैयारी और शमन को मजबूत करने के लिए आपदा के बाद राहत प्रदान करने से भिन्न होती है।

मुद्दे और चुनौतियाँ : पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक संगठन उभर कर सामने आए हैं जो समाज कल्याण के लिए एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, उनमें से कई निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करते हैं:

- **विश्वसनीयता की कमी:** एनजीओ होने की आड़ में, कुछ एनजीओ अक्सर दानदाताओं से पैसा वसूल करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में भी शामिल होते हैं।
- **पारदर्शिता की कमी:** इसके अलावा, भ्रष्टाचार के आरोपों और समाज कल्याण के लिए धन की हेराफेरी के आरोपों के कारण, कई गैर-सरकारी संगठनों को धन की हेराफेरी में लिप्त पाए जाने के बाद काली सूची में डाल दिया गया।

- **विकास गतिविधियों को कम आंकना:** भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने ग्रीनपीस, एमनेस्टी और एक्शन एड जैसे एनजीओ पर विकासात्मक परियोजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
- **फंड की कमी:** कई एनजीओ को अपने काम के लिए पर्याप्त और लगातार फंडिंग जुटाने में मुश्किल होती है। सीएसआर भागीदारी एक स्थिर आय प्रदान करती है, परन्तु अधिकांश एनजीओ को इससे बाहर रखा गया है। इस प्रकार, उपयुक्त दाताओं तक पहुँच प्राप्त करना इस चुनौती का एक प्रमुख घटक है।
- **सामरिक योजना और विकास के प्रति दृष्टिकोण की अनुपस्थिति:** कई एनजीओ मौजूदा प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहज नहीं हैं जो बेहतर संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। एक अन्य क्षेत्र जहां एनजीओ में संचार की कमी है, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने में उनकी अक्षमता है। एनजीओ को आमतौर पर 'सरकार के विरोध' के रूप में देखा जाता है, जो एनजीओ को सरकार के साथ संपर्क करने और जहां भी जरूरत हो, भागीदार बनने की आवश्यकता को हतोत्साहित करता है।
- **युवाओं में स्वयंसेवी/सामाजिक कार्य की कमी** : वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि युवा, पेशेवर शिक्षा का चयन कर रहे हैं और गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करने में रुचि नहीं रखते हैं। नतीजतन, ग्रामीण समाजों में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों को प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, जहां अधिकांश एनजीओ काम करते हैं।
- **गैर-सरकारी संगठनों का राजनीतिकरण:** गैर-सरकारी संगठनों का राजनीतिकरण चिंता का एक अन्य मुद्दा है। गैर-सरकारी संगठन कभी-कभी विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े पाए जाते हैं जो उनके मूल उद्देश्य में बाधा डालते हैं।
- **सरकार के निशाने पर एनजीओ:** इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट के अनुसार कई विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

प्रभाव

हालांकि, ऐसी चुनौतियों के बावजूद कई गैर-सरकारी संगठन उत्तर प्रदेश के गरीबों और दलितों, कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों के स्तर को प्रभावी ढंग से ऊपर उठाने के लिए सामाजिक कल्याण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को तेजी से पहचाना जा रहा है। **इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठनों को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के वितरण के प्रभावी तंत्र बने रहने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।**

- निधियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शी होना।
- सामाजिक कार्य के वास्तविक डेटा को रिकॉर्ड करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यह जानकारी अधिक रणनीतिक योजना बनाने और अधिक प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

- राज्य के क्षेत्र से परे अपने नेटवर्क को व्यापक बनाने और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित लोकोपकार मंचों तक पहुंचने के लिए।
- सामाजिक कार्यों के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना।
- मजबूत नीति निर्देशों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है और ऐसे निर्देशों का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. उत्तर प्रदेश में पर्यटन: मुद्दे एवं संभावनाएं

उत्तर प्रदेश का पर्यटन भारत भर में सुविख्यात है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन एक नया उभरता हुआ उद्योग है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न दायरे (यथा-दृश्य/प्राकृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक एवं विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटक, धार्मिक पर्यटक, ग्रामीण ही पर्यटक, शैक्षिक पर्यटन) की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन, उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार आय और ग्रामीण विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन

उत्तर प्रदेश भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस प्रदेश में कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। भौगोलिक रूप से भी उत्तर प्रदेश में विविधता देखने को मिलती है- उत्तर की ओर हिमालय पर्वत हैं और दक्षिण में सिन्धु-गंगा के मैदान हैं। शिवालिक की पहाडियों में शाकम्भरी शक्तिपीठ तीर्थ है। भारत का सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ताज महल यहां के आगरा शहर में स्थित है। वाराणसी, जो कि हिन्दुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो इसी प्रदेश में है। साथ ही साथ भगवान श्रीराम की जन्म स्थली अयोध्या पावन नगरी जो की सरयू नदी के पावन स्थल पर विराजमान है। इसी प्रदेश में माता सती के नौ रूपों में एक माँ पाटन देवी का मंदिर भी तुलसीपुर में विराजमान है। भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर भी अत्यंत ही मनमोहक और खूबसूरत है जो कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में स्थित है जहां हर वर्ष लाखों बौद्ध भिक्षु दर्शन को आते हैं। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिये आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गयी है। इससे पर्यटन वृद्धि के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित मुद्दे

अवसंरचना और कनेक्टिविटी संबंधित मुद्दा: बुनियादी ढाँचे की कमी और अपर्याप्त कनेक्टिविटी के कारण पर्यटकों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रचार और जागरूकता की कमी: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन क्षेत्र के प्रचार में काफी वृद्धि देखी गई है, किंतु अभी भी ऑनलाइन मंचों पर यूपी के पर्यटक स्थलों को लेकर प्रचार और जागरूकता की कमी स्पष्ट दिखाई देती है।

प्रबंधन की कमी: पर्यटक सूचना केंद्रों को सही ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिये आवश्यक जानकारी प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाता है।

आवश्यक कौशल की कमी: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कम संख्या पर्यटन उद्योग के लिये एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण यहां आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना मुश्किल हो जाता है।

पर्यटक सुरक्षा: यूपी में आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रायः लूट और चोरी आदि का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनके मन में कानून-व्यवस्था को लेकर एक नकारात्मक छवि उत्पन्न होती है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन में संभावनाएं

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिये आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गयी है। प्रदेश में कृषि और ग्राम्य पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। गांवों में उन्नत कृषि, गौ-पालन, शिल्पकारी, हथकरघा, हस्तशिल्प, विशिष्ट शुद्ध भोजन, जैव एवं कृषि विविधता आदि के साथ-साथ अपनी समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को सजोने और उसके वृहद् स्तर पर प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर रहे हैं।

- पर्यटन वृद्धि के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 04 लाख 10 हजार से अधिक रही है।
- स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत गोरखपुर- देवीपाटन डुमरियागंज का पर्यटन विकास, स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत जेवर दादरी सिकन्दराबाद नोएडा - खुर्जा बाँदा का समेकित पर्यटन विकास, जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- यूपी में खासतौर पर ग्राम पर्यटन पर फोकस किया जा रहा है। राज्य पर्यटन विभाग ने ग्राम्य पर्यटन में असीम संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कदम बढ़ा दिया है। इसमें देश की युवा पीढ़ी को न सिर्फ ग्राम संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा बल्कि ग्रामीण परिवेश, शिल्प और कौशल से भी युवा परिचित हो सकेंगे।
- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तगत प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड़ रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।
- शक्ति पीठ मां शाकुम्भरी देवी मन्दिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शुकतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्तराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पर्यटन विभाग ने ग्राम्य पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पर्यटन विभाग ने ग्राम्य पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। पहले चरण के लिए 18 जिले चिन्हित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास-

उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत राज्य के पर्यटन स्थल के साथ ही आठ धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म सर्किट को भी विकसित किया जाएगा। जिसके द्वारा रामायण, महाभारत, शक्तिपीठ, कृष्ण, बुद्ध, जैन और सूफ़ी सर्किट के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे है-

- मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक व्यवस्था को विकसित करने की योजनाएँ।
- स्वदेश दर्शन के रामायण सर्किट में अयोध्या में रामकथा गैलरी, गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट एवं अन्य स्रोत पर्यटन राज्यपना सुविधा के विकास आदि के कार्य एवं श्रृंग्वेरपुर (जनपद-इलाहाबाद) में पर्यटक सुविधा केंद्र, घाट एवं अन्य दस्तावेज सुविधाओं के विकास हेतु कार्य ।
- बौद्ध सर्किट के लिए कुशीनगर, कवि कथा एवं श्रावस्ती में साउण्ड और लाईट शो एवं अन्य सिद्धांत राज्य राज्य अवस्थापन सुविधा के विकास हेतु कार्य ।
- प्रसाद विन्यास के तहत वाराणसी में पर्यटन विकास कार्यों के लिए रू. 92.92 करोड़ की संख्या करदाता।
- ब्रज के संपूर्ण एवं समग्र विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना।
- विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना रू. 371.43 करोड़ का एग्रीमेंट किया गया है।
- इको टूरिज्म एव वन्यजीव पर्यटन को पहल देने से दुधवा, कतरनिया, चंद्रप्रभा, पूर्वी पक्षी विहार, बखीर पक्षी विहार, कुकरैल, नवाबगंज पक्षी विहार सोहगीबरवा पक्षी विहार आदि का विकास किया जा रहा है।
- सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अयोध्या में दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान।
- वन स्टैप ट्रेवल सलुशन पोर्टल की व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग के लिए "यू.पी. नहीं देखा, तो इंडिया नहीं देखा' की। टैग लाइन ब्रांडिंग आदि।
- वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों को "पावन पथ" के नाम से विकसित किया जाना।
- प्रदेश के विभिन्न प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलिका-राइड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास में विभिन्न चुनौतियां हैं जैसे- वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी संसाधनों की समस्या, लोगों में पर्यटकों से संबंधित जागरूकता की कमी, भौतिक और सामाजिक

अवसंरचना की कमी आदि। उत्तर प्रदेश में पर्यटन एक नया उभरता हुआ उद्योग है। इसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासों की रूपांतर पर चर्चा कर रही है। पर्यटन, उत्तर प्रदेश में गरीबी को दूर करने, व्यापक रोजगार आय और ग्रामीण विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को लाभ में परिवर्तित करने के लिए केंद्र, राज्य एवं नागरिक समाज के शामिल प्रयासों की आवश्यकता है। विकास योजनाएँ (जैसे- स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजन, हृदय योजना, प्राप्त्य भारत, स्वच्छ भारत, हरित शहर आदि) आदि प्रयासों द्वारा पर्यटकों के प्रति जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार (टूरिज्म मार्केटिंग) आदि प्रयास पर्यटन क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा सकता है।

7. उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार: मुद्दे एवं चहुमुंखी विकास पर प्रभाव

"परिवर्तन नवाचार की मांग करता है और नवाचार प्रगति की ओर ले जाता है" ~ ली केकियांग

नवाचार नए विचारों, उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं को विकसित करने की प्रक्रिया है जो चीजों को करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन या सुधार लाता है। इसमें नए अवसरों की पहचान करने और अद्वितीय एवं प्रभावी तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मकता, समस्या-समाधान और महत्वपूर्ण सोच का अनुप्रयोग शामिल है। यह दक्षता, उत्पादकता, लाभप्रदता और विकास को बढ़ाने की कुंजी है और अक्सर आर्थिक विकास और प्रगति में प्रमुख योगदान देता है।

उत्तर प्रदेश में नवाचार- देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश 'बीमारू राज्य ' से 'भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र' में परिवर्तन के चरण में है।

यूपी में नवाचार का उद्देश्य-

- **आर्थिक विकास का केंद्र बनना-** देश में विकासोन्मुख आर्थिक विकास को साकार करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
- **रोजगार इच्छुक से रोज़गार सृजकों की ओर बढ़ना-** वह राज्य जो अतीत में गंभीर बेरोजगारी के मुद्दे का सामना करता था, वहां सार्थक रोजगार सृजित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन-**अधिशेष श्रम को प्राथमिक क्षेत्र से उद्योगों और सेवाओं में स्थानांतरित करना, इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित करने के लिए नवाचार का अनुकरण करना महत्वपूर्ण है।
- **पलायन और ब्रेन ड्रेन पर नियंत्रण-** उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से एक ऐसा राज्य रहा है, जहां से ज्यादा पलायन हुआ है इसलिए राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करने और ब्रेन ड्रेन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता है।
- **समाज कल्याण का उद्देश्य-** विशेष रूप से वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का फल हमेशा लोगों की सामाजिक भलाई के लिए एक सकारात्मक शक्ति रहा है।

राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने वाले तत्व-

- **डिजिटलीकरण-** भारत एक प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार हब बनने के लिए एक उपयुक्त स्थिति में है। 700 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ यह इंटरनेट उपयोग के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है और 2025 तक यह संख्या बढ़कर 974 मिलियन होने का अनुमान है।
- **राज्य की युवा आबादी-** 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष है, जो देश में सबसे युवा आबादी है।
- **संस्थागत सहयोग-** सरकार के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-21 के अनुसार देश में सबसे अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं।
    - ✓ उत्तर प्रदेश में 8,114 कॉलेज हैं और प्रत्येक एक लाख की आबादी पर 32 कॉलेज हैं।
    - ✓ राज्य में IIT कानपुर, IIT (BHU) वाराणसी, MNNIT प्रयागराज जैसे कई प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं ।
    - ✓ इसके अलावा यूपी में कई प्रतिष्ठित शोध संस्थान भी मौजूद हैं जैसे- सीडीआरआई लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) लखनऊ, सीडीएसी नोएडा, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज आदि।
- **सरकार द्वारा सहयोग-** राज्य सरकार ने नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न नीतिगत बदलाव, नवाचार निधि, निवेशक शिखर सम्मेलन आदि के रूप में कदम उठाए हैं।

नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021

- उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पिछले आकलन में नौवें से सुधरकर 2021 में सातवीं हो गई है।
- कुल कारोबारी माहौल में सुधार के कारण राज्य ने बिजनेस एनवायरनमेंट घटक में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र जिनमें नवाचार के चलते आ रहा है बदलाव-

1. **डिफेंस-**यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के चलते प्रदेश में कई तरह के बदलाव आएंगे जैसे -
    - ✓ भारतीय रक्षा कंपनियां वैश्विक कंपनियां के साथ सहयोग करेंगी और अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का विकास होगा।
    - ✓ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा साथ ही स्वदेशी क्षमताओं के विकास का रास्ता खुलेगा।
    - ✓ राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।

2. **बुनियादी ढांचे का विकास**-सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास से न केवल परियोजना को सुविधाजनक बनाएगा बल्कि क्षेत्र के समग्र बुनियादी ढांचे में भी सुधार करेगा, जिससे निवेश के अधिक अवसर और रोजगार सृजन होगा।
3. **हरित ऊर्जा-** 2070 तक देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य अपने विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देकर अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है।
4. **मानव पूंजी-** यह ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और अन्य अमूर्त संपत्तियों को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों द्वारा कार्यबल में समाहित किया जाता है। नवाचार रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर मानव पूंजी बनाने में मदद करता है।
5. **कृषि-** यह वह क्षेत्र है जो राज्य के अधिकांश कर्मचारियों को रोजगार देता है इसलिए कृषि में निम्नलिखित नवाचार के माध्यम से किसान आय को दोगुना करने की आवश्यकता है-

- ✓ सटीक कृषि तकनीकों जैसे जीपीएस-निर्देशित ट्रैक्टर और ड्रोन जैसी तकनीकों के माध्यम से दक्षता में वृद्धि।
- ✓ जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नए उत्पाद विकास जैसे कि फसलें जो बदलती जलवायु, कीटों और बीमारियों के लिए प्रतिरोधी हैं।

उत्तर प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास-

डिफेंस कॉरिडोर-

राज्य में रक्षा-डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया गया है, जिसका विस्तार नोएडा, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट जिलों में हैं। इसके तहत, IIT कानपुर और BHU, DRDO और HAL एयरोस्पेस सिस्टम जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उपकरण R&D केंद्र के साथ R&D का गठजोड़ किया गया है।

स्टार्ट-अप कल्चर को बढ़ावा- राज्य में 50 से अधिक इनक्यूबेटर और 7200 स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं। बजट 2023 में, स्टार्ट-अप और इन्क्यूबेटरों को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड के रूप में 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है साथ ही यूपी आईटी और स्टार्ट-अप नीति-2020 के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

इस क्षेत्र में हासिल की गयी उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

- भारत सरकार द्वारा आयोजित "राज्य की स्टार्ट-अप रैंकिंग " में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल होना ।
- राज्य के प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक, 100 इन्क्यूबेटरों की स्थापना/समर्थन करना।
- राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्ट-अप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना ।

- 8 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करना ।
- लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर स्थापित करना ।

उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड (UPIF) -

- राज्य में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना।
- यह फंड ₹4000 करोड़ का होगा, राज्य सरकार के पास ₹400 करोड़ का हिस्सा होगा जबकि शेष 3600 करोड़ रुपए निजी निवेशकों के माध्यम से जुटाए जाएंगे।

युवाओं को सशक्त बनाना-

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन- 14-35 आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं को उनकी पसंद के व्यवसायों में प्रशिक्षित करना और अकुशल और अर्ध-कुशल कार्यबल के कौशल के अधिग्रहण और उन्नयन के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अधीन- राज्य के पात्र छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाना।
- स्कूलों का कायाकल्प करने और बुनियादी शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प योजना।

कृषि-

- राज्य में 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं और बजट 2023 में कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।
- बजट 2023 में एग्रीटेक स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये के कृषि त्वरक कोष (Agriculture Accelerator fund) का प्रस्ताव है।
- जैविक खेती बोर्ड और यूपी इनोवेशन फंड प्राकृतिक खेती में स्टार्टअप्स और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए।
- यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 (जीआईएस-2023) - इसमें 34 लाख करोड़ रुपये के 19,250 एमओयू साइन किए गए।
- नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, उच्च शिक्षा, औद्योगिक पार्क, आईटी सक्षम सेवाओं जैसे नवाचार आधारित क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश हो रहा है।

ऊर्जा- हरित ऊर्जा -

- सौर ऊर्जा- सौर ऊर्जा नीति 2022 जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य है।
- ग्रीन हाइड्रोजन- जीआईएस-2023 में झांसी, सोनभद्र , गोरखपुर, नोएडा, मिर्जापुर और जौनपुर , प्रयागराज में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपये के 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए ।
- जैव ऊर्जा- जीआईएस-2023 में 46,000 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में 2600 किमी के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना जिसमें अल्ट्रा-मेगा सोलर पार्क शामिल हैं

सूचना प्रौद्योगिकी-

- नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2022- यह 1,000 करोड़ रुपये तक की सभी परियोजनाओं पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है।
- यूपी डाटा सेंटर नीति, 2021 नोएडा में डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

स्मार्ट शहर-

- 10 स्मार्ट शहर जिनमें कुल 5,753 करोड़ रुपये की लागत से 259 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
- यूपी बजट 2023 कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में शहरी बुनियादी ढांचे और मेट्रो रेल के विकास पर केंद्रित है।

स्वास्थ्य-

- एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत प्रदेश के 45 जनपदों में चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है तथा 14 जनपदों में निर्माणाधीन है।
- बजट 2023 में 14 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल-

- INSPIRE छात्रवृत्ति - विज्ञान के अध्ययन के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करने हेतु ।
- रामानुजन फैलोशिप- यह भारत के बाहर के प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए है।
- नॉलेज इनवॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (किरण) योजना- क्षमता निर्माण के लिए महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अवसर प्रदान करना।

- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच) - छात्रों को समाज की कुछ दबाव वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) - पूरे भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए।
- SPARC और IMPRESS- सामान्य उद्देश्य सामाजिक और शुद्ध विज्ञान में भारत के विशिष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

नवाचार से जुड़े मुद्दे- जबकि नवाचार में आर्थिक विकास और विकास को सुचारू रखने की क्षमता है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। जैसे-

अनुसंधान एवं विकास व्यय में कमी-आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में सबसे नीचे है। अनुसंधान एवं विकास में निवेश की यह कमी नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की राज्य की क्षमता को सीमित करती है।

स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव-राज्य में कुछ स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर और त्वरक हैं, समग्र पारिस्थितिकी तंत्र अभी तक नवीन कंपनियों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। इसमें फंडिंग, मेंटरशिप और नेटवर्किंग अवसरों तक पहुंच की कमी शामिल है। इन संसाधनों के बिना, कई स्टार्ट-अप जमीन से ऊपर उठने और रोजगार सृजित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अमूर्त संपत्तियों रजिस्ट्रेशन में पीछे-नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अनुसार-राज्य अभी भी पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन और ट्रेडमार्क जैसी अमूर्त संपत्तियों के निर्माण में काफी पीछे है, जो इस क्षेत्र में ज्ञान फैलाने का काम करते हैं।

मानव पूंजी में कौशल-विकास का अभाव-यूपी इसमें सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है और सूचकांक के अनुसार स्कूली शिक्षा तृतीयक और उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये के एक इनोवेशन फंड की स्थापना की है। अपनी विभिन्न पहलों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम कर रही योजनाओं के साथ, उत्तर प्रदेश देश के इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है, जो समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। नवाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कई कदम उठाने की जरूरत है। इसमें अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना, अधिक स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर स्थापित करना और नवीन कंपनियों के विकास का समर्थन करने के लिए अधिक अनुकूल

नीतियां, वित्त पोषण और संसाधन प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और लोगों को नवीन उद्योगों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए।

8. उत्तर प्रदेश में सिंचाई

मध्य गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज बनाकर लगभग 115 किमी. लंबी नहर निकाली गई है। इस नहर को ऊपरी गंगा नहर में मिला दिया गया है इस नहर से गाजियाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर इस नहर का निर्माण 1878 ई. में किया गया। इस नहर को बुलंदशहर के नरोरा नामक स्थान से निकाला गया है। इस नहर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। जिसमें प्रदेश के लगभग 7 लाख हे. भूमि की सिंचाई की जाती है। इस नहर की कुल लंबाई 8,800 किमी. है।

शारदा नहर का निर्माण 1928 ई. में किया गया। इस नहर को शारदा या काली नदी या महाकाली नदी से निकाला गया है जो उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से निकलती है। यह प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई 12,368 किमी. है। शारदा नहर से प्रदेश के प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाजहाँपुर जिले लाभान्वित होते हैं।

आगरा नहर को यमुना नदी के दायें किनारे से निकाला गया है। जो आगरा के ओखला से निकलती है इसका निर्माण 1874 ई. में किया गया। इस नहर की कुल लंबाई 1600 किमी. है इस नहर से प्रदेश के आगरा, मथुरा जिलों में सिंचाई सुविधाएं पहुँचायी गयी हैं।

पूर्वी यमुना नहर यह प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर है इसकी कुल लंबाई 1440 किमी. है यह प्रदेश के सहारनपुर जिले से यमुना नदी के बायें किनारे से निकाली गयी है। इस नहर से प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मेरठ आदि हापुड़, जिलों में सिंचाई की जाती है।

कुँओं द्वारा सिंचाई का सबसे पारंपरिक एवं प्राचीन स्रोत रहा है। प्रदेश के पठारी तथा पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के लगभग सभी भागों में कुँओं द्वारा सिंचाई की जाती है। गंगा के मैदानी भाग तथा गंढक नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुँए का सर्वाधिक प्रचलन है क्योंकि इन क्षेत्रों में उच्च भूमिगत जलस्तर तथा मुलायम शैलें हैं। कुँओं द्वारा सिंचाई के लिए रहट, ढैकली, बलदेव बाल्टी, चरसा, चैनपम्म, हैंडपम्प,

मायादास लिफ्ट आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रदेश के गोण्डा, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बलिया, मउ आदि जिलों में सिंचाई की जाती है।

तालाब द्वारा सिंचाई, सिंचाई का एक सतत् तथा वहनीय स्रोत है इसके द्वारा प्रायः उन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है जहाँ की भूमि पठारी है इसके अंतर्गत बेड़ी, ढैकची आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है इससे प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जिलों में सिंचाई की जाती झील द्वारा सिंचाई का प्रदेश में पर्याप्त प्रचलन नहीं है इसका कारण प्रदेश में झीलों का अभाव पाया जाना है। प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें बखीरा, शुक्रताल फूल्हर, गोविन्द सागर आदि हैं।

Lucknow IAS Academy

LiA

Join our telegram channel

@LKOIAS